राजस्थान विधान सभा

७ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक--६ अक्टूबर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-४० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—श्री मेहता ।

प्रश्न संख्या २७७

सन् १९५४-५५ में कृषि विभाग द्वारा खरीदे गये अमोनियम सल्फेट की दरें

श्री चांदमल मेहता :—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. सन् ५४-५५ के वर्ष में कितना कितना अमोनियम सल्फेट किस रेट पर कृषि विभाग द्वारा कहां कहां से खरीद किया गया ?

२. उक्त वर्ष में किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस २ रेट पर कितना कितना अमोनियम सल्फेट कृषि विभाग द्वारा बेचा गया ?

३. अमोनियम सल्फेट किस प्रकार की भूमि में अधिक उपयोगी साबित हुआ है ?

४. क्या यह सही है कि जिन कुओं का पानी खारा है वहां अमोनियम सल्फेट उपयोगी साबित नहीं हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१. १००० टन सिन्द्री फर्टीलाइज़र कंपनी से ३१५) रु० प्रति टन राजस्थान के प्रत्येक रेल्वे स्टेशन पर।

२. ३८० रु० प्रति टन । जिलों में खाद-वितरण का विवरण इस प्रकार है ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

क्रम संख्या	जिला का नाम	वितरण किया गया
१.	पाली	१२६ टन
२.	जोधपुर	३० टन
३.	जालोर	२३ टन
४.	सिरोही	३४ टन
५.	नागोर	११ टन
६.	उदयपुर	१०३ टन
७.	भीलवाड़ा	७६ टन
८.	चितौड़	७० टन
९.	डूंगरपुर	२६ टन
१०.	बांसवाड़ा	५६ टन
११.	जयपुर	९० टन
१२.	सवाई माधोपुर	९७ टन
१३.	भरतपुर	३१ टन
१४.	अलवर	३० टन
१५.	टोंक	३७ टन
१६.	श्री गंगानगर	११५० टन
१७.	कोटा	९० टन
१८.	बूंदी	५० टन
१९.	झालावाड़	२५ टन
		कुल—२१५८ टन

३. सामान्यतः सभी प्रकार की भूमि में

४. हां।

श्री चांदमल मेहता—अमोनियम सल्फेट के क्रय-विक्रय में सरकार को कितना फायदा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार कोई फायदा इस पर नहीं करती।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो रेट क्रय को है उसके मुकाबिले में विक्रय की रेट अधिक है ?

Page No.3

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, खरीदने और बेचने की रेट में फर्क होगा।

श्री चांदमल मेहता—फर्क का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोस्ट रेट और इन्सीडेन्टल रेट में फर्क है कि करीब ६०) रुपया सरकार को और खर्च आ जाता है। ५० रुपया प्रति टन रेल्वे फ्रेट का लग जाता है व ४० रुपया प्रति टन इन्सीडेन्टल चार्जेज़ का लग जाता है।

एक माननीय सदस्य—यह फर्क कितना है?

श्री भोगीलाल पंड्या—लगभग ६० रुपया प्रति टन का।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसमें सरकार को लोस या फायदा होता है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब २ "नो लोस नो प्रोफिट" के आधार पर बेचती है। इसमें पहले पूरा हिसाब तो लगाया नहीं जा सकता, अन्दाज से किया जाता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस 'करीब करीब' में सरकार को फायदा होता है या नुकसान होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप चाहें तो अलग से जानकारी प्राप्त करके बताया जा सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सरकार बिजनेस के लिए रोज इस प्रकार का काम करती है तो उसे अभी तक पता नहीं चला है कि उसे इसमें प्रोफिट हो रहा है या लोस हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो बिज़नेस के लिए नहीं सेवा के लिए किया जाता है। एक साथ फर्टीलाइज़र आता है वह पड़ा रह जाता है। भावों में फरक पड़ता रहता है, इन्सीडेन्टल खर्चा आ जाता है इसलिए कोस्ट रेट से ज्यादा लिया जाता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार की सेवा का यह ध्येय है कि जिस भाव वह खरीदे उससे कम काश्तकारों को देवे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार का यह ध्येय है कि सस्ते से सस्ता फर्टीलाइज़र काश्तकारों को देवे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार ने कोस्ट प्राइस से कम प्राइस पर काश्तकारों को फर्टीलाइज़र बेचा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—फिर सरकार को यह बताने मे क्या मुश्किल हो रही है कि सरकार को कितना नफा हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि नफा करने का इरादा सरकार का नहीं है, इन्सीडेन्टल खर्च के कारण ज्यादा दामों पर बेचा जाता है। अलग से अगर आप जानना चाहें तो मैं जानकारी करके बता सकता हूँ।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—नफा करने का इरादा नहीं, पर आपने फरमाया कि कोस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचा जाता है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैंने कोस्ट प्राइस और इन्सीडेन्टल प्राइस के विषय में बताया कि इतना खर्चा आ जाता है।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि "नो प्रोफिट नो लोस" के आधर पर दिया जाता है, पर थोड़ा फर्क रह जाता है .....

श्री भोगीलाल पण्ड्या—फर्क का मैंने नहीं कहा। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि पूरी पूरी कोस्ट पर इतना इतना खर्चा आ जाता है। उसका पूरा का पूरा तो हिसाब पहले से लगाया नहीं जा सकता, इसलिये रेंट में थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—तो यह थोड़ा बहुत फर्क है वह नुक्सान का है या नफे का है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह खाद किसानों को जबर्दस्ती दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—नहीं शुरू में लोग इसके फायदों को जानते नहीं थे, तब उनको समझा कर दिया जाता था; पर अब लोग समझने लग गये, अपने आप लेते हैं। पहले एक-आध कोई घटना हो गई है, बाद में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उन्हीं किसानों को तकावी मिलती है जो यह खाद खरीदते हैं।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—यह बहुत पुरानी घटना है, वह मैंने मान तो ली, बार बार क्यों कहलाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे खाद डिपो कहां कहां खोले गये हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या— वैसे हरेक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर है तथा और भी दूसरी जगहों पर हैं, अगर आप पूरी सूची चाहें तो मैं जानकारी प्राप्त करके दे सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—जहां पर खारा पानी है, वहां पर एमोनियम सल्फेट उपयुक्त साबित नहीं हुआ है। वहां कौनसा खाद उपयोगी हो सकता है इसके लिये सरकार क्या जानकारी कर रही है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैंने अपने उत्तर में कहा कि खारे पानी में अमोनियम सल्फेट काम में नहीं आता, वहां कौनसा खाद उपयुक्त हो सकता है इसके लिये जानकारी की जा रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सब अमोनियम सल्फेट बिक जाता है या सरकार के पास बच जाता है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—बच भी जाता है और पिछले सालों में भी बचा है।

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)—केमिकल फर्टीलाइजर का अन्त में परिणाम क्या होगा, क्या इसकी जानकारी सरकार ने की है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—जी हां, पहले सरकार एक्सपेरिमेंट करती है कि कहीं इससे नुक्सान तो नहीं हो जाय और फिर बाद में यह देती है।

श्री राज हिम्मतसिंह—क्या दूसरे देशों के अनुभवों को भी मद्देनजर रखा है।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—दूसरे देशों से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपने यहां एक्सपेरिमेंट करके देख लिया जाता है।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—क्या यह सही है कि इसका परिणाम यह होगा कि राजस्थान में भी डेजर्ट हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Shri Hans Raj.

प्रश्न संख्या २९८

धौलपुर सब डिवीजन में पार्वती बांध का निर्माण

श्री हंस राज जटिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

[श्री हंसराज जटिया]

(क) क्या धौलपुर सब डिविजन में हो रहे पार्वती बांध का निर्माण संतोषप्रद है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—इस साल पार्वती बांध पर जो रेन गेज लगा हुआ है उसके अनुसार अभी तक करीब ३०" पानी पड़ना पाया गया है। नदी में १५ फीट तक पानी चढ़ गया था। वहां जो चुनाई हुई है उसका एक पत्थर भी नहीं हिला और पानी बराबर जारी है। पानी भरने से चूने का सेटिंग अच्छा होता जा रहा है। कच्चे बाध में पिछली बार में कहीं कहीं रेन कट्स हुए हैं जो ठेकेदार से ठीक करवाये जा रहे हैं।

कच्चे बांध का वाटरिंग एन्ड कन्सोलिडेशन अच्छा होने से ऐसी घोर वर्षा होने पर भी मिट्टी सिंक नहीं के बराबर हुई है।

लिहाजा इस घोर वर्षा होने पर भी पार्वती बांध के निर्माण के कार्य पर अभी तक जो काम हुआ है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और काम सन्तोषजनक है।

श्री रामलाल उपाध्याय—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि कितने फीट केनाल तैयार हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग से प्रश्न पूछिये तो बताऊंगा कि कितने फीट केनाल तैयार हुई है।

श्री राम लाल उपाध्याय—यह पूछा गया कि क्या प्रगति संतोषजनक है, तो आपने उत्तर दिया कि संतोषजनक है; तो यह बताया जाय कि क्या संतोषजनक है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूँ कि १५ फीट तक दीवार की चुनवाई हुई है, अलग से पूछा होता कि क्या क्या हुआ तो मैं बताता।

श्री हंसराज जटिया—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इसमें कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग से पूछेंगे तो बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६७६

जनवरी १९५४ से पुलिस थानेदार सरवाड़ द्वारा विवाह एवं गमी पर भोज के मुकदमों का चालान

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) १ जनवरी ५४ के बाद एस. एच. ओ सरवाड़ द्वारा कितने मुकदमे विवाह व गमी आदि मौकों पर किये गये भोजों के खिलाफ चालान किये गये ?

(ख) उक्त मुकदमें किस किस तारीख को किस २ के खिलाफ चालान हुए ?

(ग) भोजों पर से प्रतिबन्ध राज्य सरकार द्वारा कब उठा लिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास गृह मन्त्री)—(क) १ जनवरी, १९५४ के बाद एस. एच. ओ. सरवाड ने ऐसा एक चालान किया।

(ख) उक्त चालान तारीख १७ मार्च, १९५५ को सर्व श्री चन्द्रा, मूला, गोरिया तथा हकमा के खिलाफ हुए।

(ग) यह प्रतिबन्ध तारीख १५ नवम्बर, १९५४ से हटा लिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—प्रतिबन्ध हटाने के बाद इस तरह का मुकदमा चालान किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री राम किशोर व्यास—यह गलती थी।

श्री चांद मल मेहता—इस प्रकार की गलती के लिये एस. एच. ओ. के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का ऑर्डर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस एक मुकदमें के अलावा एस. एच. ओ. सरवाड़ ने वहां की जनता को परेशान किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—क्या वह मुकदमा वापिस ले लिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी, मुकदमा खारिज हो गया।

श्री चांदमल मेहता—उस एस एच. ओ. को क्या सजा दी गई ?

श्री राम किशोर व्यास—उसे सेंसर कर दिया गया है।

श्री भैरों सिंह (दांता रामगढ़)—क्या सरकार इस प्रकार के भोजों को सामाजिक कुरीति नहीं समझती ?

श्री अध्यक्ष—No opinion can be invited from the Government.

श्री भैरों सिंह—क्या सरकार ने इसे कुरीति नहीं समझा है

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २८०

फालना महावीर मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी द्वारा विक्रय कर की छूट संबन्धी प्रार्थना-पत्र ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Separate Reenue pleased to state :--

(a) Is it a fact that one Mahavir Manufacturing Co. of Falna has applied to the Governmeut for exemption from paymeut of Sales Tex.?

(b) Is it a fact that the said company has been granted a stay order in respect of recovery of tax from them pending decision of their application ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन्होंने स्टे ऑर्डर के लिए एक प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री महोदय के पास पेश किया था ?

श्री अमृतलाल यादव—वह तो मैंने मेरे उत्तर में निवेदन किया है, "जी हां" ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि माननीय मंत्री ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर करके उनकी दरख्वास्त पर हुक्म फरमा दिया था ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह बताया कि यह सही नहीं है कि उस कम्पनी को ऑर्डर दिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये । मेरा प्रश्न यह नहीं है कि ऑर्डर दिया गया या नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि उन्होंने माननीय मंत्रीजी को दर्ख्वास्त दी और उनकी दर्ख्वास्त पर माननीय मंत्री ने ऐसा हुक्म शाया किया या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने आपको जवाब दिया कि उस कम्पनी को किसी तरह स्टे ऑर्डर दिया नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने उनकी अर्जी पर ऐसा ऑर्डर दिया या नहीं, उसका उत्तर दिया जावे ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं समझता हूँ कि राज्य और सेक्रेट्री महोदय का अलग प्रश्न नहीं है । मैंने निश्चित तौर से जवाब दिया है कि राज्य की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं दिया गया ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने में क्यों हिचकिचाते है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हिम्मत चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं विशेष रूप से पूछ रहा हूँ कि एक अर्जी सरकार के एक विशेषाधिकारी के पास आई और वे अधिकारी माननीय मंत्री थे । मैं यह पूछ रहा हूँ कि आया मिनिस्टर ने उस अर्जी पर हुक्म दिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—Ministers are not officers of the Government: they are Government itself.

हरिकृष्ण व्यास—The are Government, bue unfortunately that particular order did not go out of thl Secretariat. I am only asking whether the Minister passed such an oder on the file or not ? I wont "Yes or No."

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—No reply.

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, बात यह है कि जो एप्लीकेशन आई थी उस पर मैंने सचिव को लिखा । फाइल पर हुक्म देने का जहां तक प्रश्न है उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया गया ।

श्री कुं० जसवन्तसिंह—एप्लीकेशन और फाइल अलग अलग होते है ?

श्री अमृतलाल यादव—उस वक्त अर्जी अलग थी।

श्री वेदपाल त्यागी—एप्लीकेशन पर क्या ऑर्डर दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—These are official secrets.

श्री वेदपाल त्यागी—It is an act of a Minister done under certain statutes.

श्री अध्यक्ष—But then after a certain stage they come in as official secrets.

श्री कंवरलाल जेलिया—इस आवेदन-पत्र पर माननीय मंत्री द्वारा क्या ऑर्डर दिया गया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—सचिव को आदेश देने का हुक्म किस आधार पर किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह कहा कि ऑर्डर दिया ही नहीं गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी आपने फरमाया कि एप्लीकेशन पर लिखा गया और सचिव के पास भेजा, वह किस आधार पर किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह निवेदन किया था कि एक व्यक्ति की अर्जी आई। उस अर्जी पर मैंने सचिव को लिखा था। मैंने सचिव को लिखा, इसके माने यह नहीं कि फाइनल ऑर्डर उसके पास पहुँच जावें। वह बात तो है नहीं क्योंकि उसके बाद भी कई बातें देखनी और कन्सल्ट करनी पड़ती हैं। लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करके अन्त में जो ऑर्डर राज्य की तरफ से दिया जाता है वह फाइनल होता है। वह अंतिम ऑर्डर राज्य की तरफ से नहीं दिया गया।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या इससे यह समझा जावे कि मंत्री महोदय जो सचिव को ऑर्डर देते हैं उसका पालन नहीं होता है ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस एप्लीकेशन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप की सिफारिश भी पहुंची थी ?

श्री अमृतलाल यादव—यह बिल्कुल गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह स्टेऑर्डर देने का क्या कारण था ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी बात नहीं है। अम्बरेला फेक्ट्री (Umbrella factory) राजस्थान में एक ही फेक्ट्री थी, उसकी मदद करना कोई बुरी बात नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रटे ऑडर देने की कोई गुंजायश है ?

श्री अमृतलाल व्यास—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो ऐसी हालत में एक फेक्ट्री को क्यों ऑडर दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैंने कई बार कहा है कि मैंने ऑर्डर दिया नहीं, फिर भी बार बार यह पूछा जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिनिस्टर ने तो ऑडर दे दिया था, मगर आगे चली नहीं; उसका क्या इलाज हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८१.

किशनगढ़ सब डिविजन में विभिन्न तालाबों की नहरों पर ताले

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) किशनगढ़ सब डिवीजन में चालू वर्ष में किन किन तालाबों की नहरों पर लोक (ताला) लगाये गये ?

(२) लोक (ताला) लगाने की योजना किन किन तालाबों पर सफल हुई ?

(३) ऐसे कौन कौन से तालाब हैं जिन पर लोक टीक ढंग से नहीं लगे हैं ?

(४) किस किस ग्राम के किसानों ने लोक टीक ढंग से नहीं लगने की शिकायत की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— (१) किशनगढ़ सब डिवीजन में चालू वर्ष में जिन जिन तालाबों पर स्ल्युस लगाये गये हैं उनकी फैहरिस्त इस प्रकार है :—

१. लाम्बा सरगोन में	किशनगढ़ तहसील	४ स्ल्युस	काम चालू है
२. जयसागर डीडवारा	,,	२ ,,	

[श्री भोगीलाल पंड्या]

३. मदनसागर डीडवारा	किशनगढ़ तहसील	२	स्ल्युज काम चालू है
४. काटोलाई बान्दर सिंदरी में	,,	१	,,
५. जुबली सागर मीन्डौती में	,,	२	,,
६. उम्मेदसागर बान्दर सिंदरी में	,,	२	,,
७. सूरखेली अराई में	अराई	३	,,
८. विजय सागर लाम्बा में	,,	३	,,
६. हनुमान सागर	रुपनगढ़	१	,,

(२) लोक (ताला) लगाने की योजना सभी तालाबों पर सफल हुई।

(३) ऐसे कोई भी तालाब नहीं हैं ।

(४) किसी भी ग्राम के किसानों ने इस विषय में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अराई गांव के लोगों ने यह शिकायत की थी कि लोक ठीक ढंग से नहीं लगे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, ऐसी शिकायत पहले की थी ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि कोई शिकायत नहीं है ...

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले शिकायत आई थी। उसके लिए प्रबन्ध कर दिया गया और बाकी कोई शिकायत नहीं रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जहां जहां तालाबों में लोक लगाये गये हैं वे सारे बेकार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी कोई शिकायत अभी तक हमारे पास नहीं आई। अगर आप बतायेंगे तो जानकारी प्राप्त की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग की तरफ से जो काम कराया जाता है उसके लिये उस विभाग की ओर से माकूल देख-रेख की व्यवस्था नहीं होती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सही नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां। अगर आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतावेंगे तो जांच की जावेगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नहरों के किस तरह ताले लगाये जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, नहरों के ताले लगाये जाते हैं। कभी कभी जुबानों के ताले भी लगाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८२

कृषि विभाग द्वारा बाड़ी नगर (धौलपुर सब डिवीजन) में गेहूँ के स्टॉक पर पहरेदारी

श्री हंसराज जटिया—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग ने बाड़ी नगर, धौलपुर सब डिवीजन में गेहूँ खरीद कर अलग मकान में स्टॉक किया और एक चौकीदार भी नियुक्त किया जब कि वहां तहसील की काफी बड़ी इमारत खाली पड़ी थी और वहां पहरा भी सदा लगता था ?

(ख) क्या इसकी स्वीकृति सरकार से ली गई या वहां के स्थानीय अधिकारियों को ही इसका अधिकार प्राप्त था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बाडी में बीज का गोदाम तभी लिया गया है जब तहसीलदार ने कोई सरकारी मकान बीज के लिए देने से मजबूरी जाहिर कर दी थी। बीज जैसी वस्तु खुले में रखी नहीं जा सकती है इसलिये सुरक्षित स्थान में रखना जरूरी था।

जिला, कृषि अधिकारी, पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्धारित दर पर गोदाम किराये पर ले सकते हैं।

श्री हंसराज जटिया—बहुत से मकान उस तहसील में अभी खाली पड़े हैं जिनका उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तहसीलदार ने लिखा कि मकान नहीं है तभी तो मकान लिया गया।

श्री हंसराज जटिया—गेहूँ खरीदा गया था, उस समय इसके लिए पूछा गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि बीज के लिये सुरक्षित स्थान की ज़रूरत थी, उनको खुले में नहीं रखा जा सकता। इसके लिये पूछने की जरूरत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट,

प्रश्न संख्या २८३

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोध समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये मामलों पर कार्यवाही

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान के एन्टी करप्शन बोर्ड की जानकारी में अब तक कुल कितने मामले भ्रष्टाचार के लाये गये ?

(ख) उक्त मामलों में क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मंत्री) (क) राजस्थान के एन्टी करप्शन बोर्ड की जानकारी में अब तक ११ मामले गजटेड अधिकारियों के आये।

(ख) इन ११ मामलों में से ५ तय हो चुके हैं। ४ मामलों के कागजात संबन्धित विभागों को तस्फिये व उचित कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं क्योंकि ऐसे मामलों की बोर्ड द्वारा कार्यवाही नहीं हो सकती है। १ मामला विभागीय जांच के वास्ते भेज दिया गया है और शेष मामले की कार्यवाही बोर्ड में विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—ये ११ मामले किन किन अधिकारियों के खिलाफ हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनके नाम बताना आवश्यक नही।

श्री वेदपाल त्यागी—ऐसे आदमियों को भी सरकार सेफ गार्ड करना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह जरूरी नहीं कि उनके नाम लिये जावें

श्री रामदयाल उपाध्याय—जो मामले तय हो चुके हैं तो क्या उसमें किन्हीं को सजा भी हो चुकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—No, they have been dropped.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८४

जन-सेवा आयोग की बिना स्वीकृति के कुछ व्यक्तियों का अंककों के केडर में पोस्टिंग

श्री चांदमल मेहता—क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे कौन २ से व्यक्ति हैं जिनका बिना पी. एस. सी. के सिलेक्शन में आये अकाउन्टेन्ट केडर में पोस्टिंग किया जा चुका है ?

(ख) उक्त व्यक्तियों का पोस्टिंग उक्त केडर में किस २ तारीख से किया गया है ?

(ग) ऐसे कौन २ व्यक्ति हैं जो पी. एस. सी. द्वारा सफल घोषित नहीं किये जाने पर भी उक्त केडर में पोस्टिंग किये जा चुके हैं ?

(घ) उक्त व्यक्तियों को अकाउन्टेन्ट की ग्रेड कब से स्वीकार की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—(क) सूची नं० १ मेज पर रख दी गई है।

(ख) १० मई, १९५४।

(ग) सूची नम्बर २ मेज पर रख दी गई है।

(घ) ता० १०-५-१९५४ से।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—पी. एस. सी. से असफल हुए लोगों को अकाउन्टेन्ट केडर में फिक्स अप करने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लिस्ट नम्बर १ में दर्ज है। ये पहले राजस्थान में अकाउन्ट्स ऑफिसर्स थे। पी. एस. सी. द्वारा सिलेक्शन हुआ और वे सिलेक्शन में नहीं आये। उसके पश्चात् उनको नीचे के केडर की पोस्ट्स पर कन्फर्म करना लाजमी हो गया, वरना वे निकाल दिये जाते। तो उनको उससे नीचे के केडर में फिक्स अप किया गया; राजस्थान अकाउन्ट्स ग्रेड में उनको फिक्स अप किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान के फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने ऐसे आदेश जारी किये थे कि जो व्यक्ति इस पी. एस. सी. के सिलेक्शन में असफल हो जावेंगे उनको डिग्रेड कर दिया जावेगा ?

Page No.16

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह लाजमी बात थी कि पी. एस. सी. के सिलेक्शन में नहीं आवेंगे तो उस ओहदे पर, जिसका कि इम्तिहान लिया गया था, वे कैसे रह सकते थे ?

श्री हरकृष्ण व्यास—अकाउन्ट्स ऑफिसर्स की कुल कितनी पोस्ट थी और पी.एस.सी. ने कितने सिलेक्ट किये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अलग से सवाल पूछा जाय। पी. एस. सी. ने १२६ सिलेक्ट किये और ७०-८० जगह है।

श्री चांदमल मेहता—जो पी. एस. सी. के इम्तिहान में बैठे ही नहीं थे उनको एपोइन्ट करने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान की ट्रेज़रीज़ में ट्रेज़री अकान्टेंट्स का काम कर रहे थे। इनको पहले पार्ट 'ए' स्टेट्स में भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए और उन पर सरकार द्वारा काफी रुपया खर्च किया गया। जब वे पी. एस. सी. के इम्तिहान में पास नहीं हुए तो उनको दुबारा प्रिन्सिपल ट्रेनिंग स्कूल के पास रखा गया और वहां उनका दुबारा इम्तिहान लिया गया और जो लोग उसमें उत्तीर्ण हुए उन लोगों को रख लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इनमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि ट्रेज़रीज़ में ट्रेज़री अकाउन्टेन्ट्स नहीं थे और यु. डी. सीज़ थे और उनको, विशेष कृपा की वजह से, अपोइन्ट कर दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—विशेष कृपा की वजह से तो किसी को अपोइन्ट नहीं किया गया। जो व्यक्ति ट्रेज़री अकाउन्टेन्ट्स थे या यु. डी. सीज़ थे और अकाउन्ट्स का काम कर रहे थे और जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी थी उनको दुबारा ट्रेनिंग दिलाई गई जो कि पहले पी.एस.सी. में सिलेक्ट नहीं हुए थे और उसमें उत्तीर्ण हुए उनको रखा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नवलकिशोर यु.डी.सी. का काम करते थे और उनको अकाउन्टेंट बनाया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछिये, जवाब दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अपोइन्टमेन्ट के बारे में जो ऑर्डर्स दिये गये थे, उस ऑर्डर में कहा गया था कि उनका कम्पेन्सेटरी अपोइन्टमेन्ट किया जाता है किसी रियायत की वजह से ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रियायत की वजह से अपोइन्टमेन्ट नहीं किया, प्रीवियस एक्स्पीरियेन्स से और ट्रेनिंग दी है उस हिसाब से किया गया।

Page No.17

श्री चांदमल मेहता—जब पी. एस. सी. में असफल हो गये तो पहले की योग्यता पी. एस. सी. के लिए क्या माने रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पी. एस. सी. में रिटन टेस्ट होता है और इसलिये उसको ध्यान में नहीं रखा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पी. एस. सी. सिलेक्शन करती है तो वह सब बातों को ध्यान में रख कर करती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो क्वालिफाइंग टेस्ट था और मेरिट्स के ऊपर नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पी. एस. सी. ने लिस्ट शाया की और सरकार ने प्रकाशित की तो क्या वह ऑर्डर ऑफ मेरिट में थी या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लिखित टेस्ट में नम्बर आये उसके मुताबिक थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑर्डर ऑफ मेरिट में नहीं थी और नम्बर से थी। लिस्ट में १२६ सफल हुए, और जगह केवल ७०-८० थी; तो ऐसी सूरत में इमीजियेटली उन पास शुदा लोगों को पहले प्रिफरेन्स क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दूसरा और सवाल है अध्यक्ष महोदय, जिसका मैं जवाब दूंगा। दोनों मिंगल कर दिये गये है। ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान में अकाउन्ट्स ऑफिसर्स थे और पी. एस. सी. के सिलेक्शन में नहीं आये और जिनको नीचे की ग्रेड में फिक्स अप कर दिया गया और दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान में ट्रेज़रीज़ में अकाउन्टेन्ट्स का केडर कायम होने से पहले अकाउन्टेन्ट्स का काम करने से पार्ट 'ए' स्टेट्स में टेनिंग के लिये भेजे गये और जिन पर सरकार द्वारा रुपया खर्च किया गया और जब वे रिटन टेस्ट में नहीं आये तो उनको प्रिन्सिपल ट्रेनिंग कॉलेज के पास रखा गया और उनको ट्रेनिंग देने के पश्चात् दुबारा इम्तिहान लिया गया और उसके बाद पांच-सात आदमियों को रखा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास--प्रश्न यह है ..

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह दूसरा सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न यह है कि ट्रेज़री अकाउन्टेन्ट्स के लिये पूछा और जब इससे ताल्लुक राजस्थान के अकाउन्टेन्ट्स के लिये लाजमी कर दिया गया कि पी. एस. सी से पास शुदा हों तो फिर कुछ लोगों के लिए डिपार्टमेन्टल टेस्ट क्यों मोजूं समझा गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पहले से क्वालिफाइड थे और ट्रेनिंग दी जा चुकी थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन लोगों को पी. एस. के सामने एपियर होने के लिए सरकार ने कहा था और पहले क्वालिफाइड नहीं माना था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां तक उन लोगों के एपियर होने का ताल्लुक था, वे हायर ग्रेड में थे और चूंकि ऊपर की ग्रेड में होने से वे उसके विरोधी थे कि नहीं बैठेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके विरोधी हों या न हों, सरकार का क्या निर्णय था ? ये एपियर हों और बगैर एपियर हुए ये क्वालिफाइड नहीं माने जावेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह शाया कर दिया गया था कि यु. डी. सीज़ तथा और कोई इम्तिहान में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—और यह भी शाया कर दिया गया था कि राजस्थान अकाउन्ट्स सर्विस में पास शुदा इलिजिबल माने जावेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्वालिफाइड तो माने ही जावेंगे।

श्री हरीकृष्ण व्यास—ऐसी स्थिति में जब सारे लोगों को पी. एस. सी. का इम्तिहान पास करने पर ही क्वालिफाइड् माना गया तो फिर इन लोगों को डिपार्टमेन्टल्ली पास शुदा को कैसे क्वालिफाइड मान लिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह डिपार्टमेन्टल टेस्ट था जो पी. एस. सी ने होल्ड किया था और जो डिपार्टमेन्टल काम करते चलते आ रहे थे, जिन पर कि काफी रुपया ट्रेनिंग के लिये खर्च किया गया था और चूंकि यह समझा गया कि उन पर काफी रुपया खर्च किया जा चुका है, उनको दुबारा और टेस्ट लेकर रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री चांदमल मेहता—एक सप्लीमेन्टरी और है। जिन व्यक्तियों का अकाउण्ट्स के लिये पोस्टिंग किया गया उनको पोस्टिंग की तारीख के पहले अकाउन्टेन्ट की ग्रेड देने का क्या कारण था; जैसे कि बताया गया था कि सन् १९५४ में ग्रेड दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पोस्टिंग की पहले की तारीख से ग्रेड दिये जाने का कोई कारण नहीं है। जब पोस्टिंग हुआ तब से दी गई।

श्री चांदमल मेहता—१९५४ से अपोइन्ट किया गया तो फिर उनको उस तारीख से क्यों अपोइन्ट किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह केटेगरी १९५४ में कायम हुई थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति सन् ५४ में नहीं हुई थी बल्कि सन् ५५ में हुई थी।

(विराम)

क्या यह सही है कि नियुक्ति के आर्डर्स सन् ५५ में दिये गये थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो सन् ५४ से उस पोस्ट पर काम कर रहा था तो उसको सन् ५४ से मिलेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो व्यक्ति पी. एस. सी. से सिलेक्ट किये गये थे और जो काम कर रहे थे वे पोस्ट्स उनको सन् ५४ से नहीं दी गई और सन् ५५ से दी गईं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नये आदमी होंगे।

श्री चांदमल मेहता—आप यह कह रहे हैं कि चूंकि उस पोस्ट पर काम कर रहे थे इस लिए सन् ५४ से दी गई। जो व्यक्ति पी. एस. सी के सिलेक्शन में आये और उस पोस्ट पर काम कर रहे थे उनको नियुक्ति की तारीख से ही ग्रेड दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अकाउन्टेन्ट्स की पोस्ट्स ट्रेज़रीज़ में थीं, बाकी और जगह नहीं थी। पी. एस. सी. द्वारा सिलेक्शन हुआ और उसके मातहत जहां आवश्यकता थी वहां अकाउन्टेन्ट्स रखे गये; उनको उस तारीख से ग्रेड दी गई। लेकिन जो ट्रेज़री के अकाउन्टेन्ट्स थे और पहले काम कर रहे थे और जिनकी इससे कम तनख्वाह थी तो उनको वह ग्रेड मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट. श्री तेजपाल।

प्रश्न संख्या २८१

वन विभाग, भरतपुर के अन्तर्गत विभिन्न तहसीलों की भूमियां

श्री तेजपाल-- क्या मन्त्री, वन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर जिले में इस समय वन विभाग के अन्दर कितनी और कौन कौन सी तहसीलों में जमीन है ?

(ख) इनमें कौनसी और कितनी जमीन कृषि योग्य और कितनी वन के योग्य है ?

[श्री तेजपाल]

(ग) क्या काबिल काश्त जमीन को भूमि-हीन किसानों को नहीं दिया जा सकता; अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(क) भरतपुर जिले की तहसीलों में निम्न भूमि वन विभाग के आधीन है :

(१) तहसील भरतपुर	१५३६२ एकड़
(२) तहसील डीग	३००७ एकड़
(३) तहसील नगर	६६५ एकड़
(४) बयाना व बैर तहसील	६१२७७ एकड़
(५) धौलपुर की विभिन्न तहसीलों में	२६३७३ एकड़
योग	१३७०४४ एकड़

(ख) वन व कृषि दोनों के योग्य भूमि है। भरतपुर जिले में जितनी भी रुंधें हैं वे मैदानी होने के कारण काश्त के काम में भी ली जा सकती हैं किन्तु आस-पास के गांवों के मवेशियों की चराई व लकड़ी की आवश्यकता भी इन्हीं रुंधों से पूरी होती है। वे रुंधे निम्नलिखित हैं :

(१) रुंध मांडेरा	(२) रुंध घरसिया
(३) जंगल भजना की गढ़ी	(४) रुंध इकरन
(५) रुंध हेलक	(६) सेवर परेड
(७) गढ़ी सांवलदास	(८) जंगल सुखासीला में
(९) जंगल महमदपुरा में	(१०) जंगल सैयापुरा में
(११) जंगल पुराइरलाल में	(१२) जंगल कैर में
(१३) जंगल जहाज में	(१४) जंगल वल्लभगढ़ में
(१५) जंगल कालोहार में	(१६) रुंध सोमनाथ
(१७) रुंध विलेटा	(१८) रुंध गजपुरा
(१९) रुंध रजोरा	(२०) रुंध गडायच

(ग) लगभग ८१८८ एकड़ भूमि काश्त हेतु माल विभाग में मुंतकिल की जा चुकी है। अब शेष जो भूमि है वह वन विभाग के आधीन रहना आवश्यक है क्योंकि रुंधें चारों ओर से ऐसे गांवों से घिरी हुई हैं कि जिनका मुख्य आय का साधन मवेशी पालना है जो कि इन्हीं रुंधों पर आश्रित हैं। इसके अलावा यदि ये रुंधें काश्त हेतु दे दी जांय तो अकाल के समय मवेशियों के भूखे मरने की सम्भावना रहती है और राजस्थान में वैसे ही वन क्षेत्र बहुत कम हैं। आइन्दा वनों के सुधार की योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी इस समय जो क्षेत्र हैं वे पर्याप्त हैं।

श्री तेजपाल—जब कि इन गांवों के अन्दर ही यह जमीन मौजूद है तो ऐसी भूमि काश्तकारों को दे देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिए जंगल रहेगा तो ज्यादा उपयोगी रहेगा।

श्री तेजपाल—एक ओर जंगल का ध्यान रखते हैं और दूसरी ओर लोग भूखों मरते हैं; इसका सरकार को कोई ख्याल नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां तक जंगल की आवश्यकता का सवाल है उसके लिए तो भूमि चाहियेगी ही; काश्त हेतु लोगों के लिए भूमि तो और भी जगह मिल जावेगी।

श्री कंवर लाल जेलिया—यह जंगल जो है वह मवेशियों को चराने के लिए किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आधार का यहां कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार इस चाराई के लिए कोई लगान वसूल करती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शायद चराई तो वसूल की जाती है और कोई लगान-वगान मेरे ख्याल से नहीं है। इसके लिए अगर अलग से सवाल आप पूछेंगे तो निश्चित उत्तर मिल सकेगा।

प्रश्न संख्या २८६

पी० एस० सी० द्वारा सफल घोषित किये गए एकाउण्टेण्ट्स की पोस्टिंग

श्री खेतसिंह—Will the minister for Finance be pleased to state:

1. Why have the postings of the Accountants declared successful by the R.P.S.C., not been made by the Government according to the merit list even though the result of the examination was published by the R.P.S.C. in the month of march, 1955 ?

2. What are the reasons for delay in postings of the Accountants ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित मंत्री) The examination conducted by the R.P.S.C. was a qualifying test and the merit list is based on the marks obtained by the candidates in the written test. No consideration has been given to the previous experience. the number of passed men is more than the posts and a selection has to be made out of the candidates who have passed. It is under consideration whether due weightage in the matter of posting should be given to the previous experience or not and the decision will be taken within a short period.

2. Answer has already come in No. 1.

श्री खेतसिंह—तो क्या इससे यह समझा जावे कि जिसको पी. एस. सी. ने सिलेक्ट कर लिया उसको सरकार एब्जोर्व नहीं करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित मन्त्री)—एब्जोर्व तो करेगी, पर ऐसी स्थिति में जहां ज्यादा आदमियों का सिलेक्शन हुआ है और जगहें कम हैं और उन लोगों को जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पर उनके सिलेक्शन में नंबर कम आये हैं तो सरकार यह सोच रही है कि क्या उनके पास्ट एक्सपीरियेन्स उसी जगह पर काम करने वालों का जो है उनको भी कन्सीडरेशन में रक्खा जाय या नहीं। इन बातों का निर्णय हो जाने पर सिलेक्शन हो जावेगा।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि जिस वक्त में यह ओब्जेक्शन किया गया वह उनके मैरिट के अनुसार नहीं करके जिसकी जितनी सिफारिशें थी उसको उस हिसाब से सिलेक्ट किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिसके जितने नम्बर आये उसी के हिसाब से मैरिट लिस्ट बनी है और अभी तो ओब्जेक्शन ही नहीं हुआ है। सरकार यह सोच रही है कि क्या इनका अपोइन्टमेन्ट मार्क्स के हिसाब से हो या ड्यू वेटेज उनके पास्ट एक्सपीरियेन्स का भी लिया जावे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या इसमें सरकार पहले से प्लानिंग नहीं करती है कि जितनी पोस्ट हों उतने ही लोगों के सिलेक्शन के लिए पी. एस. सी. को लिखे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्योंकि ये सब सरकारी नौकर ही थे, बाहर से किसी को एग्जामिनेशन में नहीं बिठाया गया था; यह तो केवल क्वालिफाइंग टेस्ट था।

श्री चांदमल मेहता—अब तक कितने अपोइन्टमेन्ट्स किये जा चुके हैं P. S. C. से ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो अलग से सवाल पूछें आप, तो ठीक होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो अपोइन्टमेन्ट्स किये गये हैं वे मैरिट्स के आधार पर नहीं किये गये ?

Page No.23

श्री अध्यक्ष—यह तो जवाब दे दिया है न ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो अभी सवाल ही नहीं उठता ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पी. एस. सी. के एग्ज़ामिनेशन में जो बैठे, क्या वे सभी सरकारी मुलाजिम थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जो अकाउन्टेन्ट की पोस्ट पर पास नहीं होने से नहीं लिये गये, वे अपनी पुरानी पोस्ट पर ही रहेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां और अगर सिलेक्शन में वे आ जाते हैं तो उन्हें ऊपर का ग्रेड मिल जावेगा ।

श्री खेतसिंह—सरकार इस बारे में निर्णय कब कर लेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह फाइल मेरे पास ही है और यह एक गम्भीर विषय है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है ।

श्री खेतसिंह—"थोड़े" से क्या मतलब ? एक महीना, दो महीना या चार-छः महीने ?

श्री अध्यक्ष—किसी आदमी का नाम बता दें न ?

(हंसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब ये ऑलरेडी सर्विस में हैं तो फिर जल्दी ऐसी क्या है । वास्तव में यह विचाराधीन प्रश्न इसलिए है कि उनके पास्ट एक्सपीरियेन्स को भी ड्यू वेटेज दिया जाय; वरना यह हो जायगा कि जो एक जगह काम कर रहे हैं एल. डी. सी. के तौर पर, पर मैरिट लिस्ट में अधिक मार्क्स आ गये हैं उनको तो वे अपोईन्टमेन्ट्स में यु. डी. सी. से ऊपर हो जावेंगे और जो यु. डी. सी. पहले से उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं वे मार्क लिस्ट के हिसाब से जूनियर बन जावेंगे । इसलिये पुराने एक्सपीरियेन्स का खयाल रखना जरूरी है या नहीं, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है ।

प्रश्न संख्या २८७

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के पारित होने के पश्चात् कुछ वस्तुओं को इस कर से मुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(१) ऐसी कौन कौस वस्तुएं हैं जो राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट पास होने के बाद कर मुक्त की गई हैं ?

(२) उक्त वस्तुओं के कर मुक्त करने से राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

(३) ऐसी कौन कौनसी वस्तुएं हैं जिनको कर मुक्त करने के लिए सरकार के समक्ष रिप्रेजेन्टेशन्स विचाराधीन हैं ?

(४) उक्त रिप्रेजेन्टेशन कब से सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक रावस्व मन्त्री)—(१) राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट...

एक माननीय सदस्य—आवाज नहीं आ रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अमृतलाल यादव—पास होने के बाद निम्न लिखित सामानों की बिक्री इस शर्त पर कर मुक्त की गई है कि मुक्ति चाहने वाला व्यापारी वैयक्क मुक्ति प्रमाण-पत्र, जिसके लिए रुपया १०) का वार्षिक शुल्क निर्धारित किया है, प्राप्त करले।

माननीय अध्यक्ष, वह सूची है, बीस-पच्चीस नाम हैं। आप आदेश दें तो सदन की मेज पर...

श्री अध्यक्ष—अभी २० मिनिट हैं अपने पास।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपकी भी प्रेक्टिस होगी बोलने की।

श्री अमृतलाल यादव—(१) विद्युत शक्ति।

(१) हाथ से बना कागज।

(३) हाथ करघे से बना कपड़ा जिसमें हाथ करघे से बने कपड़े की बनी पगड़ी (छल्ले सहित या बिगर छल्ले के), हाथ करघे पर बना साफा तथा हाथ करघे पर बना कपड़ा जिसकी बुनाई में सुनहरी धागा (चाहे जिस प्रकार का) काम में लिया गया हो, भी सम्मिलित है।

(४) बिना जडे हुए, कटे हुए तथा बिना कटे हुए जवाहिरात असली या नकली।

(५) हाथी दांत तथा हाथी दांत की बनी हुई समस्त वस्तुएं।

[श्री अमृतलाल यादव]

(६) तिलहन जिसमें असली सम्मिलित है ।

(७) एलोपेथिक तथा होमियोपेथिक दवाइयां और भेषज ।

(८) आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों में प्रयोग में लाये जाने वाली निर्मित दवाइयां ।

(९)सूत जिसमें व्यर्थ हुआ सूत भी शामिल है, परन्तु उसमें धागा शामिल नहीं ।

(१०) देशी जूते या जूती बनाने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा बेचे जाएं; परन्तु शर्त यह है कि जूती बनाने वाला कोई सवैतनिक श्रमी नियुक्त न करे अथवा जूती बनाने की किसी स्थिति में मशीन का प्रयोग न करे अथवा जब कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सहकारी समिति द्वारा बेचे जाएं ।

(११) लाख, टोपाली सेलोलाइट या केटेलीन ट्यूब की बनी हुई चूड़ियां ।

(१२) लकड़ी, मिट्टी तथा कागज की लुगदी के खिलौने तथा लकड़ी पर वार्निश किया हुआ सामान ।

(१३) पत्थर या संगमरमर की बनी हुई प्रतिमाएं तथा मूर्तियां ।

(१४) किसी भी धातु के हाथ से बने हुए बरतन जब वे ऐसे बरतनों के स्वयं निर्माता द्वारा या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा बेचे जायं, परन्तु यह शर्त है कि बरतनों का निर्माणकर्त्ता सवैतनिक श्रमी नियुक्त न करे या बरतनों के निर्माण करने की किसी स्थिति में बिजली का प्रयोग न करें, अथवा जब वे कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सहकारी समिति द्वारा बेचे जाँय ।

(१५) कच्ची रूई (बिनोला) रहित तथा बिनौला सहित ।

(१६) कच्ची ऊन ।

(१७) कच्ची खालें तथा चमड़े ।

(१८) खान से निकला हुआ लोहा, पिग आइरन, कच्चा लोहा, आइरन और लोहे का चूरा, आइरन डस्ट, लोहे की कतरनें, आइरन स्क्रैप, तथा विकारयुक्त लोहा, आइरन डिफेक्ट्स ।

(१९) असली सोने या असली चांदी के बने हुए गहने ।

[श्री अमृतलाल यादव]

(२०) स्थानीय निर्मित सोना तथा चांदी का गोटा, सलमा सितारा या बादला।

(१) मिश्री, पतासा, बूरा।

(२) उक्त वस्तुओं के कर मुक्त करने से राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ है, इसका अन्दाजा साल के अन्त में ऐसे सामानों की बिक्री का पूर्ण विवरण व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर किया जा सकेगा?

(३) सरकार के समक्ष अभी ऐसे कोई रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं हैं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी जो जनता की ओर से आये हुए रिप्रेजेन्टेशन्स पर विचार करे?

श्री अमृतलाल यादव (प्रथक राजस्व मन्त्री)—किस पर विचार करे?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एक कमेटी मुकर्रर की गई थी जो इस बात पर विचार करे कि जनता की ओर से जिन जिन चीजों को कर से मुक्त करने के रिप्रेजेन्टेशन्स आयें उन पर विचार करे?

श्री अमृतलाल यादव—हां जी, की थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी सही है कि इस कमेटी के विचाराधीन अभी कई मामले हैं?

श्री अमृतलाल यादव—वह कमेटी बात भी कर चुकी। उसकी रिपोर्ट फाइनल भी हो चुकी, यह उसी का परिणाम है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस कमेटी ने अपनी ओर से कुछ ऐसी तजवीजें की जिनको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया?

श्री अमृतलाल यादव--सरकार बाध्य नहीं है कि कमेटी की सारी बातों को माने।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार को इन चीजों कोकरों से मुक्त करने की क्यों आवश्यकता प्रतीत हुई?

श्री अमृतलालयादव—इन उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक था । राजस्थान की औद्योगिक प्रगति करना हम सब का उद्देश्य है ।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि कुछ चीजों को करों से मुक्त करने के लिये एजीटेशन भी हुआ था ?

श्री अमृतलाल यादव—एजीटेशन होता रहता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि करों में जो कमी की गई वह एजीटेशन होने के कारण की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—इन वस्तुओं को करों से मुक्त करने का निर्णय किस आधार पर किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया सरकार राजस्थान प्रान्त की औद्योगिक प्रगति चाहती है और इसीलिये जब सरकार के सामने जनता ने और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने अपनी कठिनाइयां बतलाईं तो सरकार ने यह मुनासिब समझा कि औद्योगिक प्रगति के लिये इन चीजों को करों से मुक्त किया जाय ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब सेल्स टेक्स बिल विधान सभा के सामने प्रस्तुत हुआ था उस समय विधान सभा के सदस्यों ने यह बात कही थी कि कुछ ऐसी चीजे हैं जिनको कर से मुक्त किया जाय तो उस वक्त आपके द्वारा इन्कार कर दिया गया; तो अब कौनसी नई बात पैदा हुई जिससे सरकार को उन्हीं चीजों को कर से मुक्त करना पड़ा ?

श्री अध्यक्ष—A reasonable decision is never late-

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जिस वक्त सेल्स टेक्स बिल विधान सभा के समक्ष चल रहा था उस वक्त क्या इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार नहीं था ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार का उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार सदैव रहा है और रहेगा ।

श्री चांदमल मेहता—तो उस वक्त इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने इन चीजों पर कर कम क्यों नहीं किये जब कि विधान सभा के सदस्य जोर दे रहे थे कि इन चीजों पर कर नहीं होना चाहिये ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो कोमोडिटी वाइज़ मेरिट्स पर तय किया जाता है। अब भी ऐसी कमियां हो सकतीं हैं जिन पर बाद में विचार किया जा सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—विधान सभा के बाद में क्या सरकार के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण करों में कमी करने को बाध्य होना पड़ा ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां।

श्री भैरुंसिंह—क्या यह सही है कि जयपुर में सेल्स टेक्स के विरोध में कोई आन्दोलन हुआ था ?

श्री अमृतलाल यादव—आन्दोलन होता रहता है।

श्री अध्यक्ष—Ask him whether it is day or night.

श्री भैरूसिंह—क्या सरकार ने आन्दोलन-कर्त्ताओं के साथ सेल्स टेक्स के बारे में समझौता किया था ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया।

कु०श्रीजसवन्तसिंह—तो क्या यह समझा जाय कि एजीटेशन हुआ ही नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—एजीटेशन तो होते ही रहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि समझौते के परिणामस्वरूप ही दरें घटाई गई ?

श्री अमृतलाल यादव—यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास-जिन औद्योगिक चीजों पर कर की रियायत दी गई क्या उसके लिये औद्योगिक प्रतिनिधि सरकार के पास आये थे या उनकी तरफ से रिप्रेजेन्टेशन आया था ?

श्री अमृतलाल यादव—वे खुद भी आये थे और रिप्रेजेन्टेशन भी उनका आया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि जिन जिन चीजों पर करों में संशोधन बाद में किये गये उनके सिलसिले में वे संबन्धित उद्योगपति लोगों में आम तौर से इस प्रकार प्रचार करते हैं कि हमने रुपये देकर संशोधन करवाया ?

श्री अध्यक्ष—There should be no sting in the question. It must be free from strictures or sarcasms.

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय मंत्रीजी से, जब मैंने यह सवाल पूछा था कि सेल्स टेक्स के विरोध में कोई एजीटेशन हुआ था तो उसका जवाब दिया गया कि मेरी जानकारी में नहीं है ; जब एक दूसरे सदस्य द्वारा इसी प्रकार का सवाल किया गया कि क्या जयपुर में सेल्स टेक्स के विरोध में आन्दोलन हुआ था तो उन्होंने कहा कि आन्दोलन तो हुआ ही करते हैं; तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि सही बात क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो सही बात है वह सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—हम तो माननीय मंत्री जी के मुख से सुनना चाहते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सरकार को ज्ञात है कि जिन चीजों के करों में कमी की गई उसमें जवाहरात भी एक वस्तु है, जिसमें इस प्रकार की कमी की गई है। जहां तक मुझे मालूम है राजस्थान में ही जवाहरात पर कर की कमी की गई। जवाहरात एक लग्ज़री की चीज है, इस पर कर में कमी करने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जवाहरात पर कर की कमी का कारण यह है कि जयपुर के अन्दर जवाहरात की एक प्रकार की इन्डस्ट्री है और यह कोटेज इन्डस्ट्री के तौर पर चलती है। सरकार का कर्तव्य है कि कोटेज इन्डस्ट्री को सरकार संरक्षण दे, इसलिये यह किया गया।

श्री सन्तोषसिंह—जब सरकार जवाहरात जैसी चीजों पर कर कम कर सकती है तो जो लोग नदी से रेत लाते हैं मकान बनाने के लिये उस पर टेक्स क्यों लगता है ?

श्री जसवन्तसिंह—जवाहरात जैसी चीजों को कर से मुक्त कर दिया तो फिर मकान बनाने के लिये जो लोग नदी से रेत लाते हैं उन पर टेक्स क्यों, यह समझ में नहीं आया ?

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के तहत सरकार आगे किन किन वस्तुओं को सेल्स-टैक्स से मुक्त करने जा रही है ?

श्री खेतसिंह—क्या राजस्थान सरकार जूती उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कर मुक्त से करेगी ताकि लोगों को जाकर सस्ती पड़े ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर इस प्रकार की मांग ज्यादा हुई तो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मांग तो उधर से ही हो रही है, मांग को पूरी करिये ना।

Page No.30

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—सरकार ने जब कि कीमती चीजों को कर से मुक्त कर दिया तो क्या सरकार बिल्डिंग मेटीरियल आदि, जैसे रेत आदि है; उसको कर से मुक्त न करने का क्या कारण है ? -

श्री अमृतलाल यादव—ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तो क्या यह ज्यादा जरूरी है कि रेत पर टेक्स लिया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-रेत पर कोई टैक्स नहीं किया जाता; जो लोग बेचते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जो मकान बनाने के काम आती है रेत जैसे बजरी, जो चूने में मिलाई जाती है वह बेची नहीं जाती; क्या सरकार उसको कर से मुक्त नहीं करना चाहती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कन्ट्राक्टर्स जो हैं उन पर टेक्स है, जिसको दूर करने का सवाल नहीं ।

श्री देवीसिंह—जो एम० एल० ए० इस चीज के ठेकेदार हैं; उनको विशेष रियायत दी जायगी क्या ?

श्री लक्ष्मण हीराल—(अश्रव्य)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जो हाथ से बनाते हैं वे मुक्त हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो देते हैं वे मुक्त हैं नहीं ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह दोनों पर लगता है ?

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेटिव बिजीनेस । श्री दामोदरलाल व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रिविलेज, मोशन आगे के लिए था ।

श्री अध्यक्ष—Tomorrow We not examined it.

राजस्थान उत्पादन भाटक नियामक (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेग्युलेटिंग (संशोधन) विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय ।

Page No.31

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह्—माननीय अध्यक्ष, अभी जो प्रस्ताव पेश किया गया है...

कुं०श्री जसवन्तसिंह्—ओन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय मंत्रीजी ने जो पहले ऑर्डिनिन्स सरकार द्वारा बनाये गये थे उनको कानूनी रूप देने के लिए एक बिल प्रस्तुत करने की तजवीज की है और वह सदन को पास करने का है। ऐसे १०,१२ ऑर्डिनिन्सेज़ सरकार ने जब पिछली दफा इस सदन की मीटिंग हुई थी तबसे इसदरम्यान में पास किये गये हैं। तो मैं एक सिद्धान्त पर एतराज उठाना चाहता हूँ, वह यह है कि अगर हमारे भारत के संवीधानकी धाराओं को हम देखें तो ऐसा मलूम होगा कि यह आर्डीनेन्स लाइट हार्टेडली कोई जिम्मेवार सरकार जारी नहीं करेगी। इनको तभी ऐसे आर्डिनेन्सेज़ निकालने पड़ते हैं जब कि ऐसी स्थिती पैदा हो जाती है कि सरकार का काम ठप्प हो जाता है। मुमकिन है कि इन आर्डिनेन्सेज़ में से २,३, ऐसे हो सकते हैं कि जिन आडिनेन्सेज़ को पास करना लाजमी हो गया था, अनिवार्य हो गया था। लेकिन अधिकांश में जो आडिनेन्सेज़ सरकार के द्वारा पास किये गये इस दरम्यान में जब की विधान सभा कि बैठक नहीं हो रही थी और अब हो रही है। उसमें अधिकांश ऑर्डिनेन्सेज़ ऐसे हैं कि जिनमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि ऑर्डिनेन्सेज़ ज़ारी करने की जरूरत हो गई थी। आर्डिनेन्सेज़ निकालने के लिये हमारे संविधान में प्रोविजन है और यह साफ लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में जब कि बगैर आर्डीनेन्सज़ के काम नहीं चल सकता है तभी आर्डिनेन्सज़ निकाले जा सकते हैं, तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी सरकार के उपर या किन्हीं कारणों से ऐसे आर्डिनेन्सज पास किये गये, और जिनको कि अब कानून के रूप में इस सदन में लाना जरूरी होगया। यह मेरा फन्डामेन्टल प्रेलीमिनेरी ऑब्जेक्शन है। और अगर सरकार यह भी जनाना चाहे कि ऐसे कौन से आर्डिनेन्सेज हैं तो वह उन आर्डिनेन्सेज के रूप से ही मालूम हो सकता है। अधिकांश में ऐसे आर्डिनेन्सेज़ हैं जो कि असेम्बली में पेश किये जा सकते थे और कानून के रूप में आते तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। यह कॉन्स्टीट्यूशनलऑब्जेक्शन माननीय अध्यक्षजी मेरा है। हम आगे चलें उससे पहले यह मैं गवर्नमेन्ट के द्वारा स्पष्ट करवाना चाहूँगा कि ऐसी गलती क्यों होती है और आयन्दा इस गलती को रोकने के लिये क्या बन्दोबस्त होना चाहिये; यह हमारे संविधान की अवहेलना है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्रीजी से इसका स्पष्टीकरण में जानना अवश्य चाहूँगा। इसके बाद में इन ऑर्डिनेन्सेज़ को कानूनी रूप दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—It was a point of explanation

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) Yes, Sir, It was not a point of order,

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जो ऑर्डिनेन्सज़ गवर्नमेंट को पास करने पड़ते हैं उसकी तत्काल आवश्यकता होने पर ही वैसा किया जाता है। जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि लाइट हार्टेडली ही हम ऑर्डिनेन्सेज़ को पास कर देते हैं तो वैसी बात नहीं है। उनकी

Page No.32

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

तत्काल आवश्यकता होने पर ही ऐसा किया जाता है, वर्ना बहुत से बिल जब कि असेम्बली मीट करती है तो इन्ट्रोड्यूस करने की परम्परा चली आ रही है। ऑर्डीनेन्सेज़ राजस्थान में ही नहीं, भारतवर्ष और हरेक स्टेट में उस बीच में पास करने पड़ते हैं जब कि लेजिस्लेचर मीट नहीं करता हो। इन्हीं कारणों से ऐसा किया गया है, लाइट हार्टेड वाली बात नहीं है। तत्काल आवश्यकता के कारण यह किये गये हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र माननीय मुख्य मन्त्रीजी देखें कि अगर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक, जारी अगर उस वक्त न होता तो अब पास हो सकता था, यह असेम्बली में आ सकता था। इसी प्रकार राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी विधेयक पास नहीं करते तो वह भी इस विधान सभा में हो सकता था। इसी तरह से जोधपुर ....

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि मैंने मूव कर दिया है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय और जो एतराजात जिस ऑर्डीनेन्स के बारे में हों तो जब वह ऑर्डीनेन्सेज़ लिये जांय तब एतराज कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एतराज है तो कहिये। मैंने विचारार्थ मूव किया है यह बिल। आपने जैसा फरमाया, कोऑपरेटिव सोसाइटी विधेयक, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक आदि, जब विचारार्थ लिये जायं तो उस वक्त कहियेगा।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—यह जनरल ऑब्जेक्शन है।

श्री वेदपाल त्यागी—यह एक सिद्धान्त का ऑब्जेक्शन है।

श्री अध्यक्ष—I would intervene, although I don't want to enter into discussion. It is a constitutional right given to the Government and according to the constitution the Government is fully entitled to pass any ordinance during the period when the legislature does not meet. If the hon'ble member of the House want to censure the Government they can do so by bringing down the ordinances. That will be a censure of the Government.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I agree and it is a fact that the Government is within its powers to pass anything but then certain things are done under certain conditions.

श्री अध्यक्ष—Which only the Government can best appreciate.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—All right.

वाद-विवादों के समय सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखने सम्बन्धी अनुरोध

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—मैं यह निवेदन करना चाहूँगा व मैं यह अनुभव करता हूं कि सदन के अन्दर लोग कई बार जो मूल प्रस्ताव होता है या बिल होता है उसके बजाय हमारी बहस बहुत सी बार इधर-उधर हो जाती है और मैं समझता हूं कि सदन इस बात में सहमत होगा कि कल इस सदन में जिस प्रकार की बहस हुई कि बिल कुछ था और बहस किसी दूसरी चीज़ पर हो रही थी ; एक जनरल डिस्कशन की तरह सदन को बना लिया जाय और जिस प्रकार के आक्षेप-प्रत्याक्षेप यहां किये गये हैं वह मैं समझता हूं कि बड़े दुःखद और हमारे लिए शर्म जैसी घटना हुई है जो शायद कहीं नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय और बहस को बिल के क्लॉजेज् के प्रोवीज़न्स तक ही सीमित रखा जाय। इसमें सदन की प्रतिष्ठा रहने वाली है और इसमें ही इस सदन में आने वाले माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसी आपत्ति उन्होंने अभी की है, वैसी ही परम्परा यदि वे प्रश्नोत्तरकाल में अपने मित्रों के द्वारा रखें तो ठीक होगा। प्रश्नों का जो इर्रिलेवेन्ट जवाब जो दिया जाता है वह नहीं दिया जाय।

(हियर, हियर)

श्री अध्यक्ष—जो बात सदन के नेता ने कही है मैं समझता हूँ कि वह बहुत गम्भीर है और सारे सदन के माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे किसी भी सूरत में और किसी भी प्रयत्न से इस सदन की प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी कोई भी ऐसी बात हो गई हो, वे माननीय सदस्य हैं, उसको बड़ी गम्भीरता से लेंगे और उसको ऐसा समझेंगे कि किसी भी प्रकार से इस सदन की प्रतिष्ठा यदि जाती है तो उसमें वे लोग बराबर इस बात की कोशिश करें कि वे उसका पूरा संरक्षण करेंगे। मैं इस विषय में सारे माननीय सदस्यों का, दोनों पक्ष के सदस्यों का सहयोग चहूँगा कि वे मेरी या मेरी अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष रहते हैं उनकी इस विषय में सहायता करेंगे।

राजस्थान उत्पादन भाटक नियामक (संशोधन) विधेयक, १९५५

(पूर्व-क्रम से विचार-विमर्श एवं पारित)

We now come to consider that motion. Will you like to discuss the principles?

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो यह प्रस्ताव पेश हुआ है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय इसका विरोध करने के लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

[श्री जवानसिंह]

राजस्थान बनने के पश्चात् यह विधेयक एक दफा संशोधित रूप से और शुरू में जिस कदर लागू किया गया उसका अर्थ यह था कि काश्तकारों से एक बार १।४ हिस्सा और बाद में १।६ हिस्सा हासिल के रूप में जागीरदार या भूमिधर ले सकते हैं। इस प्रकार का यह कानून बना था और इसकी वजह से काश्तकारों को काफी राहत हुई, इस बात को मैं मन्जूर करता हूँ। लेकिन इसके अन्दर दूसरी तरफ के जो इम्प्लीकेशन्स थे वे उस उत्साह में डूब गये और सरकार ने उस उत्साह में जो इम्प्लीकेशन्स एडवर्सली उनकी पार्टी को इफेक्ट करते थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए यह परेशानियां दूसरे रूप में खड़ी हुई हैं। मैं मानता हूँ कि सरकार का रुख यह होगा कि काश्तकारों को सुविधा दी जाय। तो इसकी वजह से कोई दूसरी ऐसी असुविधा, जिसकी वजह से कानून पर असर पड़ता है दूसरी पार्टी को नहीं हो; लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस कानून के लागू होने के बावजूद भी लगभग ४ वर्ष का अर्सा गुजर गया है लेकिन अब तक दूसरी वजह से परेशानी हो रही है। उस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इस वक्त फिर इसकी अवधि आगे बढ़ाई जा रही है। मैं इसका विरोध करता हुआ इस बात को सदन के सामने लाना चाहता हूँ कि इस कानून की वजह से जितनी राहत काश्तकारों को दी गई है उसकी तरफ ध्यान न देने से काश्तकारों और जागीरदारों की दुविधा उतनी ही अधिक बढ़ गई है। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह कानून बनने से पहले जागीरदार १।३, १।४ या १।५ भाग काश्तकारों से लगान के रूप में लेते थे और उसका आधा हिस्सा खुद रखते थे और आधा सरकार को देते थे। जागीरदारों को फिक्स्ड रेन्ट सरकार को देना पड़ता था और वे लटाई के रूप में १।३ या १।४ भाग लेते थे। सन् २३ में और सन् २८ में जो दर मुकर्रर हुई वह अब तक कायम थी, वह आज भी कायम है, लेकिन परेशानी यह है कि सरकार ने इस कानून के जरिये जागीरदारों को बाध्य किया है कि १।६ से अधिक नहीं ले सकते। सिरोही के जागीरदार सन् १९२३ में १ रू० वसूल करते थे और उसमें से आधा सरकार को देते थे। अब १।६ हो जाने से आधा याने ८ आने वसूल करते हैं और वे आठ आने उनको सरकार में देने पड़ते हैं। पहले तो ८ आने उनके पास बच जाते थे और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ उनके और लगते हैं। इस कारण से आज उनकी आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। राजस्थान बनने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई है क्योंकि वे १।६ से अधिक लगान नहीं ले सकते। इसके अलावा जागीदारों की दूसरी परेशानियां भी कई प्रकार से बढ़ गई हैं। जागीरदार भी राजस्थान के नागरिक हैं। जिस प्रकार काश्तकारों को राहत देना चाहते हैं उसी प्रकार जागीरदारों को भी राहत देना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि हमें काश्तकारों की ओर ख्याल करना है तो जागीरदारों के साथ भी उसी सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिये और यदि हमने एक को राहत दी है और दूसरी तरह से जागीरदार को असुविधा होती है। तो उसको मिटाना चाहिये। जागीदारों के लिए पिछले ४ साल में कुछ

[श्री जवानसिंह]

नहीं किया गया है। अभी हाल ही में एक आवेदन पत्र पेश किया गया था जिस पर कहा गया है कि उस पर गौर किया जायगा, लेकिन जब हम यह विधेयक पास करने जा रहे हैं तो कहूँगा कि ऐसे मामलों में जल्दी करना ठीक नहीं है। पहले उनकी दुविधाओं को दूर करें और फिर यह विधेयक पास करें। तो मैं कहूँगा कि आपने न्याय किया है वरना यह कहना पड़ेगा कि आपने जागीरदारों के खिलाफ काम किया है और उनको राहत नहीं दी है। मैं यह भी कहूँगा कि काश्तकारों को राहत देनी चाहिये लेकिन उनको राहत देने के बाद दूसरों को जो असुविधा होती है उसको भी जल्दी ही दूर करना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप काश्तकारों को राहत देने का कदम उठावें, लेकिन साथ ही साथ अवैधानिक तरीके से जागीरदारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी दूर करें।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में माननीय राजस्व मन्त्री ने जो कुछ बताया उसमें इसकी जो स्पष्ट कल्पना प्रतीत होती है वह यह है कि राजस्थान में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी और वह आवश्यकता इसलिये है कि हमें इस कानून को रिपील करने के लिये, जो पेरेन्ट एक्ट राजस्थान टिनेन्सी एक्ट नाम का कानून बनाया है वह कानून जल्दी ही लागू नहीं कर रहे हैं। यदि उनके वर्डिंग्ज़ को ठीक ढंग से देखा जाय तो जो कल्पना मैंने बताई वह स्पष्ट होती है। हमने गत वर्ष इस राजस्थान विधान सभा में टिनेन्सी एक्ट पास किया था, उस वक्त सब सदस्यों ने इच्छा प्रकट की थी कि राजस्थान में जितने छोटे छोटे कृषि और काश्तकारों से संबंधित कानून बने हुए हैं उनका एकीकरण करके उस एकीकरण किये हुए कानून को राजस्थान में जल्दी से जल्दी लागू किया जाय और उस वक्त सदन के नेता की ओर से यह विश्वास दिलाया गया था कि राजस्थान विधान सभा में कानून पास होने के बाद उसे शीघ्र ही लागू करने की व्यवस्था की जायगी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि १ साल व्यतीत हो गया, उसके बाद भी यह कल्पना आ रही है कि सन् १९५६ के मई तक यह कानून लागू होने वाला नहीं है। यह कल्पना उन्हीं के शब्दों में निहित है। उस कानून की अवधि २-६-५५ को समाप्त होती है और जो अवधि इस विधेयक द्वारा बढ़ाई जा रही है वह ३-६-५६ तक पहुंचेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो टिनेन्सी एक्ट, सन् ५४ में पास किया गया था वह तब तक लागू होने वाला नहीं है। जिस कानून को हमने पास किया, राजपत्र में शाया किया गया उसकी तहत नियम बनाये; वह शीघ्र ही लागू नहीं होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member may speak against the Principles of this Bill and not for the reasons which are delaying the enforcement of the Tenancy Law.

श्री भैरोंसिंह—(जारी रखते हुए) इस विधेयक के लिये जो रीज़न्स यहां दिये गये हैं उनमें लिखा है कि दि राजस्थान प्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट, १९५१, दि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५४ के प्रवर्तन के साथ विखंडित हो जायगा, लेकिन ऐसे प्रवर्तन में कुछ समय लगने की संभावना

[श्री भैंरूसिंह]

है क्योंकि इस दूसरे एक्ट के अन्तर्गत अभी नियम बनाना है। इस बीच में सन् १९५१ का राजस्थान एक्ट २-६-५५ को या उसके आसपास समाप्त होने को था और इस एक्ट को जब तक यह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट द्वारा विखंडित न हो जाय, जारी रखना वांछित समझा गया था। इसलिये समाप्त होने वाले उपरोक्त एक्ट की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाने के हेतु ३०-५-१९५५ को एक अध्यादेश प्रवर्तित किया गया। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रति स्थापित करने के लिये बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष—This Ordinance was already in force and now if certain conditions exist which warrant that it should not be passed then the hon'ble member should speak on the principles; otherwise the principles have been accepted and this ordinance was in force.

श्री भैरोंसिंह—(पुनः जारी रखते हुए) मैं यह बात अर्ज कर रहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि टिनेन्सी एक्ट शीघ्र ही लागू नहीं होगा। मैं यह चाहता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट करें कि टीनेन्सी एक्ट कब तक लागू कर दिया जायगा। इस विधेयक को लाने के जो कारण दिये गये हैं उनसे मालूम होता है कि अगले वर्ष तक यह लागू नहीं होने वाला है। यदि इस प्रकार की बात है तो मेरा उससे विरोध है। यदि वे यह कहते हैं कि टीनेन्सी एक्ट अभी लागू होने वाला है तो मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ (हियर हियर) और ताज्जुब मुझे यह हो रहा है कि इस प्रस्ताव का समर्थन के सिवाय और कोई राजस्थान का हित चाहने वाला कर ही क्या हो सकता है।...

श्री जसवन्तसिंह—(राजस्व मंत्रीजी से) आज आपको सपोर्ट मिल गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे कामों में रोज सपोर्ट मिलेगा।

यह बात दूसरी है कि टिनेन्सी एक्ट लागू करने में देरी हो गई, लेकिन प्रश्न यह है कि यदि देरी हो गई तो राजस्थान के काश्तकारों के लिये जो लुठे बांटे का कानून बनाया गया था, जो अब जैसा कि बताया गया है २-६-५५ को समाप्त होने वाला था, यदि उसके लिये ओर्डिनेन्स नहीं बनाया जाता और यदि उसके लिये आज विधेयक पेश नहीं किया जाता तो उसका तात्पर्य यह होता कि काश्तकारों के लगान के बारे में सीमा मुकर्रर करने वाला कोई कानून नहीं होता और नतीजा यह होता कि मन चाहे जितना लगान जागीरदार काश्तकारों से लेते। इस प्रकार का केयोस करने की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इच्छा है क्या ? माननीय सदस्यों की इस कानून के दरम्यानी अर्से में मनमानी लूट मच जाय राजस्थान के काश्तकारों से तो बात दूसरी है, नहीं तो यह आवश्यक है कि यह कानून जो ४ साल से राजस्थान में चल रहा है उसकी अवधि बढ़ाई जाय। यदि इसको पास किया गया तो १ साल तक टिनेन्सी कानून लागू नहीं होगा, यह तथ्य ठीक नहीं है। जब टीनेन्सी एक्ट लागू होगा तो यह अपने आप खत्म हो जायगा। टीनेन्सी एक्ट के लागू होने, न होने के साथ इसका सम्बन्ध जोड़ना ठीक नहीं है।

वैसे तो इसके समर्थन में बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी माननीय अध्यक्ष, पर सिरोही से आने वाले माननीय मित्र ने इस कानून का सम्बन्ध एक ऐसे कानून से जोड़ा है जो उन्हें मीटिंग में कहना चाहिये था। यह कहा गया कि कुछ लोग १।३ लेते थे, खर्चा भी पड़ता है, उन बेचारों के साथ अन्याय होगा। यदि उन बेचारों के साथ कुछ अन्याय होगा भी, मैं तो नहीं मानता कि उनके साथ अन्याय होगा, होगा भी तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उन कुछ बेचारों के नाम पर डेढ़ करोड़ किसानों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं ? कहीं तीसरा हिस्सा लिया जाता है, कहीं चौथा और कहीं आधा लेते हैं, कानून है तब भी ले रहे हैं: नहीं होगा तो फिर मालूम कैसा अन्याय होगा ?

तो इस सदन के मेरे माननीय मित्रों से मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार का हर काम तो ऐसा नहीं होता कि उसका विरोध करना ही चाहिये। फिर ऐसा काम जो काश्तकारों के आम लोगों के हित में हो, चाहे कितनी ही बेदिल सरकार हो, अपने को उस काम में सरकार का समर्थन करना चाहिये, नहीं तो हम आम लोगों का हित करने के बजाय कुछ लोगों के निहित स्वार्थों के हित करेंगे।

मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन इसे स्वीकार करे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह:—माननीय अध्यक्ष ....

(बाधा)

Just one minute. I would not take long-

यह विषय ऐसा है कि बिल्कुल साफ है, पर मुझे शक इस बात से हो गया कि मेरे जोधपुर से आये हुए मित्र हमेशा जहां तक हो सकता है सरकार का विरोध ही करते रहते हैं। गवर्नमेंट का तो ध्येय यह रहता है कि कैसे पैसा बढ़ायें, टेक्सेज लें; तो ये माननीय सदस्य हमेशा गवर्नमेंट का विरोध ही करते रहे हैं।

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

गवर्नमेन्ट का हमेशा यह ध्येय रहना चाहिये कि चाहे किसान हों, श्रम करने वाले मजदूर हों, चाहे जागीरदार हों, कोई भी हों, इस राज्य में जो रहता है उसके साथ न्याय होना चाहिये और न्याय की दृष्टि से जो कानून हो वह करना चाहिये। मैं माननीय रेवेन्यु मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि जब जोधपुर से आए माननीय मित्र इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ भेद है। मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि वे उनके फन्दे में नहीं आवें। जो इन्होंने कहा है, उसका विरोध करते आये हैं, वे अपनी पोलिसी वैसी ही रखें ताके जनता का भला हो।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह एक साधारण बिल है। इसमें महज २:६:५६ को मयाद खत्म हो रही थी इसलिये मयाद बढ़ाने के लिये रखा गया है।

जैसा कि श्री एच. के. व्यास. ने कहा किसी प्रकार का केओस नहीं हो जाय, ज्यादा बांटा नहीं ले, इसलिए टाइम बढ़ाया है। मैं समझता था कि इसका विरोध नहीं होगा, पर सिरोही से आने वाले मित्र ने इसका विरोध किया और जो कारण बताये वे इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखते।

श्री जवानसिंह—यह मैं नहीं मानता।

श्री दामोदरलाल व्यास—सदन ने टिनेन्सी बिल पास किया तो इस सिद्धान्त को माना है कि पर्मानेन्ट सेटलमेंट ऑफ रैंट रेट्स नहीं हो जाय तब तक के लिये यह कानून लागू रहेगा। यह बात सही है कि टिनेन्सी बिल जिस रोज से नाफिज हो जायगा तो उसी रोज से सम्बन्धित सब कानून रेसिप्रोकल हो जायेंगे। कुछ सिरोही के जागीरदारों का यह कहना है कि एडवर्स इफेक्ट होता है इससे। जहां तक आम किसानों का सवाल है इस कानून को न बनाने का कोई कारण नहीं दिखता।

सिरोही के जागीरदारों के लिए इस प्रकार का प्रश्न सदन में पूछा गया था कि ६ठे बांटे का कानून लागू हो गया है; पर सरकार वहां के जागीरदारों से पहले के हिसाब से वसूली कर रही है। तो इस पर कहा गया था कि यह ट्रिब्यूट का मामला है, सरकार इस पर उचित विचार करेगी और आवश्यकता हुई तो ट्रिब्यूट के काम को रोकेगी। यह अलग प्रश्न है। यह प्रश्न तो सिर्फ यह है कि प्रोड्यूस रेंट में से १।६ से ज्यादा न ले सकें क्योंकि दरम्यान में मियाद खत्म हो रही थी।

एक माननीय सदस्य दांता रामगढ़ से आये हुये हैं। उनको दुःख है कि एक साल की मयाद बढ़ाई जा रही है। वे टिनेन्सी एक्ट को देखते तो उनको मालूम होता कि टिनेन्सी एक्ट के लागू होते ही इस सम्बन्धी सब कानून रैसीप्रोकल हो जायेंगे और मैं यह सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि १५ अक्टूबर से टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आ रहा है।

(करतल-ध्वनि)

श्री दामोदरलाल व्यास]

तो ऐसी सूरत में यह एक ऐसा बिल है कि इससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यही इन्फोर्मेशन पहले दे देते तो इतनी बहस नहीं होती।

प्रश्न यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(वीराम)

श्री **तनसिंह**—अपना संशोधन उपस्थित करें।

(अनुपस्थित)

Not material.

श्री **दामोदरलाल व्यास**—माननीय अध्यक्ष, इस बिल को पारित किया जाय।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रोड्यूस रेंट्स रेगुलेटिंग (संशोधन) विधेयक १९५५ को पारित किया जाय'।

(स्वीकृत)

बिल को पारित किया गय।

राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) विधेयक, १९५५

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री **दामोदरलाल व्यास**:—(राजस्व मन्त्री) माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष:—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(विराम)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now there is only one amendment to clause 4 (2). is it very material ? Does the hon' ble member press it ?

श्री जवानसिंह— पेश तो होना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष— There is so much to transact. If it is worth pressing then I have no odjection.

श्री जवानसिंह—मेरा संशोधन यह है कि इसका सब क्लॉज़ (२) डिलीट किया जाय। मैं इस विषय पर बहुत थोड़ा औ संशोधन मैं निवेदन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष, मेरा यह संशोधन इस आशय का है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ डिक्री सरकारी अधिकारियों की गलती से या और किसी कारण से हुई हो और वह उससे असंतुष्ट हो सकता है, सरकारी अधिकारियों से कोई गलती हुई हो तो उसके खिलाफ दिवानी अदालत में जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करना है जिसके लिये यहां पर कोई प्रोविजन नहीं है। अगर विरोधी पार्टी को फैसले से ऐतराज हो तो उसके लिये ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि वह दीवानी अदालत में जा सकता है जहां पर कि उनको न्याय मिलने की आशा हो और वह न्याय मिलने की बात सोचता हो तो उसको मौका अवश्य दिया जाना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार हमेशा ताकत से चलती है और चली है। जिसके पास ताकत रहती है उसके हाथ सरकार रहती है। किसी जमाने में फौज की ताकत के आधार पर लोग राज्य करते थे और आज के जमाने में पार्टी के बल पर और जो पॉवर में होता है उसको कानून बनाने का अधिकार रहता है क्योंकि उसके पास ताकत होती है और वह जिस प्रकार का कानून बनाना चाहे बना सकता है और जिस प्रकार वह चाहेगा उसी प्रकार से कानून लागू होगा। लेकिन इसमें सरकार को क्या परेशानी होती है। सरकार चाहे जिस प्रकार का कानून बनावे, मगर उनको यह डर बना रहता है कि अगर दीवानी अदालत में जाने का अधिकार दे दिया जावेगा तो लोगों को वहां जाने का मौका मिल जायगा और उनकी पोल खुल जावेगी। मैं समझता हूँ कि यह डर बिल्कुल ठीक है। अगर यह डर है तो मैं यह कहूँगा कि सरकार जनमत से डरती है और यह चाहती है कि इसकी अपील दीवानी अदालत में नहीं जाए। यह दीवानी अदालत में जाने से रोक लगाना ठीक नहीं है। हर एक आदमी जो इन्साफ पसन्द है

[श्री जवानसिंह]

वह सच्चे दिल से इस संशोधन को अवश्य सपोर्ट करेगा और स्वीकार करेगा कि हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिये कि अगर सरकार ने कोई गलत कदम उठाया हो तो उस व्यक्ति को मौका होना चाहिये कि वह दीवानी अदालत में जावे और वहां से इन्साफ हासिल करे। उसको विश्वास है कि वहां पर उसको इन्साफ ही मिलेगा और सरकार यह सोचती है कि वह इन्साफ ही करती है और करने के लिये है तो फिर उसको डर क्या है? अगर सरकार ने इन्साफ किया है तो रिट करेंगे तो हाईकोर्ट में भी फैसला हो जावेगा। अगर सरकार ने गलत किया है और वे लोग हाईकोर्ट में जाते हैं और सरकार के हुक्म का बायकोट किया जाता है और नामंजूर किया जाता है तो इससे भी लोगों को इन्साफ ही मिलेगा। अगर सरकारी अधिकारी यह कहें कि हम इन्साफ के लिये बैठे हैं तो इन्साफ हाईकोर्ट करे या आप करें; इसके लिये किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिये। अगर सरकारी अधिकारियों ने गलती की है तो लोगों को मौका दिया जावे कि वे दीवानी अदालत में जावें और इन्साफ हासिल करें। इसीलिये यह एमेन्डमेंट पेश किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो एमेन्डमेंट पेश किया गया है उसको मैं मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूँ। थोड़ी सी बात इस सम्बंध में मैं यह आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई? ओर्डिनरी कोर्स ओफ वे में पर्सनल सक्सेशन केसेज़ दीवानी अदालत से तय होते हैं बल्कि केसेज पर्सनल लॉ से बिल्कुल भिन्न हैं और स्पेशल केसेज़ हैं। क्योंकि जागीरें जो दी गई हैं वे सब स्टेट ग्रान्ट से दी हुई हैं और उनके सक्सेशन के लिये रियासतों में अलग अलग रूल्स थे, इनको सब जानते हैं कि उनके सक्सेशन लॉज़ पर्सनल लॉज़ से गवर्न नहीं होते थे। इनके लिये अलग अलग स्टेटों में अलग रूल्स थे जो जागीरों के मुतल्लिक थे। बाद में जब राजस्थान बना तो ये अधिकार जो राजाओं को थे सब राजप्रमुख को मिल गये। जब राजप्रमुख ने इस सम्बन्ध में मामलों को तय किया तो हाईकोर्ट में उनको चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस वजह से, कि राजस्थान के एकीकरण हो जाने के बाद ये सब कोवनेन्ट से रीपील हो गये और कोन्स्टीट्यूशन ओफ इन्डिया बना तो उससे भी रीपील हो गये। इसलिये इस सम्बन्ध में राजस्थान में कोई कानून रहा नहीं। इसलिये अगर यह ओर्डीनेन्स पास नहीं किया जाता है तो सब फैसले अवैध हो जाते हैं। अब यह प्रश्न रहता है कि सिविल कोर्ट का प्रोविजन क्यों नहीं रखा जाता है, इसके लिये मैं यह कहूँगा कि जब से जागीरें कायम हुई तब से यह सक्सेशन स्टेट ग्रान्ट के लिये बिल्कुल अलग रहा है, सिविल कोर्ट से अलग रहा है क्योंकि जागीरें तो राजा लोग ही देते थे और इसीलिये इसको पर्सनल लॉ से अलग रखा गया। स्टेट ग्रान्टी हैं, वे उसकी नस्ल के बाहर जा नहीं सकते। इसलिये हर जगह यह लॉ जागीरों के लिये बनाये गये हैं। सिविल कोर्ट को अधिकार इस सम्बन्ध में नहीं दिये गये क्योंकि जागीर का संबंध सीधा राजाओं से था इसीलिये उनको यह अधिकार दिये गये हैं। राजाओं के अधिकार उस समय सुप्रीम थे। जागीर किसी को देने के अधिकार उनको थे इसलिये उनको यह भी अधिकार थे कि उन जागीरों के संबंध में वे ही डिसाइड करें। यह बिल जो पेश किया गया है उसका कारण यह है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई कानून रहता नहीं था

[श्री दामोदर लाल व्यास]

और बहुत से फैसले जो १९५० के बाद हुए वे अवैध हो जाते थे। जागीर संबंधी मामलों में सरकार ने यह देखा है कि सिविल कोर्ट में जाने से आपस में मुकदमाबाजी बढ़ेगी और इसके सिवाय कोई नतीजा नहीं निकलता है। इसलिये ऐसा कानून बनाया जावे जिसे पिछले फैसलों का भी हल हो जावे। आयन्दा के लिये कानून बनाये जावें कि कौनसी अदालत उसकी सुनवाई करेगी। मैं समझता हूँ। कि इसका स्टेट से ताल्लुक है इसलिये इसको सिविल कोर्ट में जाने से रोक दिया है और इसकी सिविल कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अब यह समझकर कि इसको पेश करना गलत है, इसको वापिस ले लेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं दो शब्द इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूँ। जहां तक दीवानी अदालतों का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक उत्तर में सरकार की ओर से यह बतलाया गया कि जनवरी १९५१ में ५६ मुकदमें सरकार के खिलाफ दायर हुए और उनमें से ३० मुकदमे सरकार की तरफ से या तो (अश्रव्य) नहीं या खिलाफ गये। इससे यह साफ है कि सरकार गलती जरूर करती है। इसलिये यह तय है कि किसी बोडी के मारफत आप इन्साफ करावेंगे; उसमें गल्तियें हो सकती हैं और उनको सुधारने की बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—That is not the point.

श्री जवानसिंह—चूंकि इन्साफ के लिये दीवानी अदालतों में जाने का मौका दिया जाना चाहिये इसलिये यह प्रश्न ऐसा है कि सरकारी अधिकारियों से गल्ती हो सकती है और उसको दुरूस्त कराना है।

माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह बताया कि चूंकि राजाओं के वक्त में भी उनको ये अधिकार थे और किसी दूसरी अदालत में जाने का मौका उस अधिकार के सिलसिले में नहीं दिया गया था, मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि राजाओं के शासन के बारे में और इस चीज़ के बारे में कि राजा लोग पूरे अधिकार अपने पास रखना चाहते थे और किसी दूसरी बात को वे रखना चाहते थे तो फिर आप भी क्यों नहीं ये अख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि इन्साफ मिलना चाहिए तो फिर मिलने देना चाहिए। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि जो मैंने संशोधन रखा है वह गलत नहीं है और इसलिए मैं इसको प्रेस करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Should I put the amendment to vote, otherwise in one motion we pass it.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं...

श्री अध्यक्ष—Should I put it to vote?

श्री दामोदरलाल व्यास—Is he pressing?

श्री अध्यक्ष—There is no point in pressing it.

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, Ser.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—When he does not press, it is not necessary that it should be put to vote. It is as if withdrawn.

श्री हरिकृष्ण व्यास—बाद में कोई कानूनी पोइन्ट उठे तो इसलिए इसको सदन में पहले क्लियर करवा लें।

श्री अध्यक्ष—When the hon'ble member does not press, it is not necessary to put it to vote.

श्री नाथूराम मिर्धा—Still either it should be put to vote or the member may withdraw it with the leave of the House.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने साफ तौर से कहा है कि मैं इसको प्रेस करता हूँ और उसके बाद जो भी प्रोसिजर हो उसको फोलो किया जाय।

श्री अध्यक्ष—We take clause 3. The question is that clause 3 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the bill.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ४ के सब क्लॉज (२) में श्री जवानसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५, ६ और ७ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड ५, ६ और ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, कमेन्समेन्ट और प्रिएम्बल बिल में अंग रूप से स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल, कमेन्समेन्ट और प्रिएम्बल बिल में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिल को पास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—Sorry, प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि बिल को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ ।

(विराम)

Yes, Shri Damoder lal vyas

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री **दामोदरलाल व्यास**—(राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं निवेदन करूंगा कि आज के बजाय इसको कल लिया जाय । कल का दिन ही इसके लिए नियत हुआ था ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—मुझे कोई एतराज़ नहीं है ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—बहस तो शुरू हो जाय कुंवर साहब आज ।

श्री **भैरूंसिंह** (वि० सं० १६)--मेरा ऐसा सुझाव है कि १६ तारीख तक के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय ।

श्री **अध्यक्ष**--There is a motion for referring it to a Select Committee. If the Treasury Benches are inclined to refer it to a Select Commlttee I have no objection.

श्री **दामोदरलाल व्यास**—कल इसको विचारार्थ ले लिया जाय और डिस्कशन के बाद में यह बात आये कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाना जरूरी है तो मैं अर्ज करूंगा कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये ।

श्री **अध्यक्ष**—The question for taking it into consideration will be pnt tomorrow.

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श एवं पारित

श्री **अमृतलाल यादव** (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ विचारार्थ लिया जाय ।

श्री **अध्यक्ष**—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय अध्यक्ष, इसमें मेरा संशोधन है और जो मैं एक मिनिट में प्रस्तुत करता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

(कुछ विराम के अनन्तर)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बोलना चाहते हैं या इतना ही काफी है ?

श्री हरिकृष्णव्यास—बोलना चाहता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष—मोशन पास हो गया।

श्री हरिकृष्णव्यास—मोशन तो कन्सीडरेशन के लिए हुआ था। उसमें मेरा संशोधन पेश हुआ है जो अभी अर्ज करता हूँ। उसके पक्ष में दलीलें पेश करना चाहता हूँ।

यह जो सेल्स टेक्स विधेयक अभी प्रस्तुत किया गया है, अपर्याप्त विधेयक है। मुझे इसका सैद्धान्तिक तौर पर कोई विरोध नहीं है लेकिन प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष, कि जब सदन किसी एक विधेयक पर कुछ संशोधन स्वीकार कर लेता है तो अपने आप यह चीज तय हो जाती है कि जो असंगत भाग है उसको भी वैसा का वैसा रहने की सम्मति अपने आप हो जाती है। हकीकत यह है कि सेल्स टेक्स का कानून जब बना था तब उस समय उधर बैठने वाले माननीय मित्रों ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बार बार यह आश्वासन दिया था कि यह नया कानून है, हमको नया नया अनुभव है और जैसे जैसे और अनुभव होंगे उसमें (उस कानून में) संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, जो आवश्यक होंगे वे कर लिये जावेंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस दर्मियानी अर्से में जो अनुभव हुए हैं उन अनुभवों को विचार में लेकर उन सब अनुभवों की बिना पर जहां जहां जरूरत थी वहां कोई संशोधन करने का प्रयत्न सरकार ने नहीं किया है। अभी अभी प्रश्नोत्तर-काल में सदन के सामने कई प्रश्न आये थे कि कई किस्मों को सूची में से अलग किया जाय, ऐक्जम्पशन दिया जाय, कितना दिया जाय। कई प्रश्न आये और इन गत महीने-डेढ महीने में सरकार ने कई फैसले भी किये, लेकिन उनमें भयंकर अनोमलीज़ हैं। जैसे विद्यार्थियों की टेक्स्ट बुक्स को एग्ज़ेम्शन दिया गया है लेकिन जिस कागज से टेक्स्ट बुक्स बनती हैं उसको रॉ मेटिरियल के तौर पर कोई एक्ज़ेम्शन नहीं दिया गया। सब उद्योगों में रॉ मेटीरीयल के लिए अलग अलग एक्जेम्पशन्स हैं। टेक्स्ट बुक्स भी हैन्डीक्राफ्ट है, कागज इकट्ठा करके फिर बनाई जाती है। एक्सरसाइज़ बुक्स भी एक प्रकार का उद्योग है और उसके लिये कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष—I fail to understand what is the objection ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओब्जेक्शन मेरा यह है कि जितने जितने कारणों से ओरिजिनल बिल को अमेन्ड करना हो......

श्री अध्यक्ष—I want to clear one thing. Has the hon'ble member any objection regarding the principles of the Bill ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—"That the Bill should be amened," on that I have no objection. But amending the Bill in such an incomplete manner, I have objection.

Page No.47

श्री अध्यक्ष--The only point here is that the partlculer rates on certain items are to be reduced from 12½ percent to 6¼ percent; that is the Amendment Bill. If the hon'ble member wants that this Bill should be comprehensive as regards the reducing of rates......

श्री हरिकृष्ण व्यास—My suggestion is, Sir, that when the House considers a motion like this the point at issue is not simply this that a particular amendment should be made but whether the House wants more amendments, whether the House wants the recasting of the Bill or whether the House does not want any amendment at all....

श्री अध्यक्ष—Recasting is out of scope of this sales Tax Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Once the motion for consideration is passed then amendments could not be moved. At the present moment we are only considering his (separate Revenue Minister's) motion.

श्री अध्यक्ष--I do'nt see any propriety for referring it to a select committee. It will be beyond the scope of the Select committee to reopen.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I think it has been done in other cases.

श्री अध्यक्ष—Two wrongs can never make one right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Directions should be given to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष—If the Government brings a reduction in other items it is only their business. The Select Committee has no authority to suggest that these rates should also be reduced.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then the House can give such specific dirretions to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Members are fully entitled to bring another amending Bill but can not suggest any amendment in items which are not mentioned in it.

I believe the hon'ble member follows the constitutional point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I entirely appreciate this but my submission was that the objection would come into force when the clause by clause consideration begins.

श्री अध्यक्ष—I will not allow any new amendment which the Government does not want and which is beyond the scope of the Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is as far as clause by clause consideration is concerned.

श्री अध्यक्ष—This is only an Amendment bringing down the rates.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So more amendments could have been brought.

श्री अध्यक्ष—We are not here concerned with that, it is the business of the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Once it goes to the Select committee I will oppose this motion.

श्री अध्यक्ष—You are perfectly entitled to oppose but only within the scope.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will confine myself to the scope and yet do justice to my point already raised.

श्री अध्यक्ष—So referring the Bill to the Select committee goes off.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, Sir,

श्री अध्यक्ष—But your oppossing will go against your own acceptance of the prineiples.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That I will clarify.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध इस बिना पर कर रहा हूँ कि जो रिडक्शन किया गया है वह गैर वाजिब है। वह ठीक-ठाक किया जाना चाहिये। मैं इस वजह से ऑपोज़ कर रहा हूँ कि इतना कम क्यों रिडक्शन किया गया और दूसरी चीजों में रिडक्शन क्यों नहीं किया गया व और दूसरी चीजों को क्यों नहीं किया गया ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अदा नहीं करती। इस छोटी सी कमी का विरोध करके बड़े काम की ओर ध्यान आकर्षित करवाने का मेरा इरादा है।

मैंने इस संबन्ध में एक मिसाल दी। एक्सरसाइज़ बुक्स की एक्सेपशन ओरज्यादा न हो। इतना ही मेरा एतराज नहीं। इस बारे में कई खामियां हैं जिनकी वजह से rate of tax...

श्री अध्यक्ष—I will like one thing more from the Hon'ble Member and that is that he should just be on the point, If the Hon'ble member wants that these rates should not be brought down, I can understand his objection. But then in the garb of raising an objection against this Bill he wants to attack the original sales Tax Act, it will not be within the scope.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am suggesting further.

श्री अध्यक्ष—You should confine to the scope of the Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That much latitude should be given.

श्री अध्यक्ष—Not of talking at random.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are further amendments which are of very essential character.

श्री अध्यक्ष—There are so many others which are more essential.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will confine myself to the rates ultimately. The Hon' ble Speaker can be rest assured that ultimately I will come down to rates.

श्री चांदमल मेहता—On a point of order, Sir, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो बहस चल रही है वह किस पर चल रही है। हमारे सामने आज के एजेन्डा में राजस्थान सैल्स टैक्स संशोधन विधेयक, १९५५, जिसका ऑर्डिनेन्स नंबर १० है और अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वे बोल रहे है राजस्थान सैल्स टैक्स सेकन्ड अमेन्डमेन्ट बिल पर, जो कि आज के एजेन्डा में नहीं है। इसलिये मेरा यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि जो चीज आज के एजेन्डा में नहीं है क्या वे उस पर बोल सकते हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं ही इसका जवाब एक मिनिट में दे देता हूँ। माननीय सदस्य ने एजेन्डा पढ़ने की शुरूआत यहां आकर की है ऐसा मालूम होता है, मैं घर से एक एक पढ़कर आया हूँ। पहला जो संशोधन हुआ वह यह है—

श्री अध्यक्ष—Come to the main point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—"shall be and be deemed always to have beeu substituted."

फिर दूसरा संशोधन जो हुआ है उसमें यह लिखा है,

"Shall be omitted and be deemed always to have been omitted."

ओमिट कर दिया जाय। ओरीजिनल चीज़ में जो आज अमेन्डमेन्ट पुरःस्थापित करने जा रहे हैं मैं माननीय मित्र को यह बता दूं कि सब्जेक्ट मेटर तीनों का एक ही है। तीनों आर्डिनेन्सेज़ का आधार इसी एक चीज़ पर है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि ऐसी कुछ खामियां है जिनकी वजह से मैं यह निवेदन करता हूँ कि कुछ के रेट्स इसमें कम किये गये है लेकिन उसमें ज्यादा रेट्स वसूल की जाती हैं...

श्री मोतीलाल चौधरी—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य ने सिम्पली अमेन्डमेन्ट मूव किया है। माननीय सदस्य या तो उसके पक्ष में बोल सकते हैं या विरोध में बोल सकते हैं।

We simply want to know whether he is opposing this or not.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I only request the Hon'ble Member to keep patience for a moment and then I think he will be able to follow.

मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक धारा के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं की लास्ट पॉइन्ट रखी गई है जिसका इस एक्ट में उल्लेख है। उसका नतीजा यह हुआ माननीय अध्यक्ष, किराणे की जो वस्तुयें है उन किराणे की वस्तुओं को लॉस्ट पॉइन्ट पर रख दिया है। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वे दो आने का धनिया बेचते हैं या और कोई चीज दो-चार आने की बेचता है तो पहले से उनका हिसाब रहता है। उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति दो आने का धनिया लेने जाता हैं तो उसमें ६। परसेन्ट की कमी तो हो नहीं सकती क्योंकि आज तक पैसे से कम कीमत का कोइन है नहीं .....

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अभी मेरे मित्र ने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया उसको ऐसे ही टाल दिया गया, उनका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सही था। इसमें दो चीजें हैं एक है राजस्थान सेल्स टैक्स (सैकेन्ड अमेन्ड्मेन्ट) ऑर्डिनेन्स और दूसरा है राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५५। अब हमें यह देखना है कि जिस चीज के अन्दर ये रेट्स कम किये गये हैं उसका नाम है राजस्थान सेल्स टैक्स (सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स जो आज विचारार्थ है। तो मैं एक चीज बड़ी क्लीयर कराना चाहता हूँ जो यह है कि आज हम इनमें से कौन सी चीज ले रहे हैं, हाउस के सामने अभी कौन सी चीज है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्रीजी कृपा करके बतला दें कि क्या ले रहे हैं डिस्कशन के लिये।

श्री अमृतलाल यादव—राजस्थान सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक, ५५; इसमें जो रेट्स रिड्यूस करने का है सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक, ५५ है वही है।

श्री अध्यक्ष—Bill No. 12 of 1955.

श्री गोपीलाल यादव—रेट कम करने का सेकन्ड अमेन्डमेन्ट बिल।

श्री अमृतलाल यादव—इसी को लिया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—सेकिंड अमेन्डमेन्ट आज के एजेन्डा में नहीं है।

श्री तनसिंह—विधेयक और अध्यादेश में अन्तर नहीं समझा जा रहा है। इसमें ऑर्डिनेन्स में दोनों ही आ गये हैं। ऑर्डिनेन्स में दोनों ही रिपील हो जाते हैं और यह विधेयक ठीक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि यह इन्टरप्शन क्यों किया जा रहा है?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Confusion has been worse confounded.

श्री अध्यक्ष—I think the members who have raised the point of order have not read the whole thing.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is clear.

श्री अध्यक्ष—I do not want interruption. Mr. Vyas has been speaking for the last 15 minutes.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The difficulty has been created by our friends there on our side...

श्री अध्यक्ष – I wish light should go from this (Treasury)side.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Unfortunately 16 minutes have been attributed in my name, but a major part of my time has been taken by odjections.

तो मैं फिर उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह जो किराने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं, एक बार में दो-चार आने का सौदा बेचते हैं और उनसे रुपये के पीछे दो पैसे के हिसाब से टैक्स वसूल करना है। अब यह मैथेमेटिकली बड़ी कठिनाई उसके सामने आती है और आवेगी और वह आ रही है माननीय अध्यक्ष, कि पैसे से कम कोई कोइन अभी तक प्रचलन में आया नहीं इसलिए वह चाहे सवा छ पर्सेन्ट की रेट हो या चाहे चार पर्सेन्ट हो या साढ़े तीन पर्सेन्ट हो वह तो मिनिमम एक पैसा चार्ज करेगा ही और इस तरह यदि चार आने और दो–दो आने का सौदा बेचते हुए इस पर वह कम से कम एक पैसा चार्ज करता है तो एक रुपये का पूरा सौदा पटाते पटाते कम से कम वह दो आने की टैक्स की रेट हो गई और यह जो कठिनाई है वह इतनी भयंकर कठिनाई का रूप धारण कर चुकी है कि जिसका नतीजा मैं आपके सामने बयान करूं कि एक्ट में रेट तो दो पैसे दी हुई है पर हकीकतन जो उपभोक्ता है उससे चार्ज किया जाता है दो आना क्योंकि छोटे छोटे ट्रान्ज़ेक्शन में कम से कम एक पैसा तो लिया ही जाता है।

दूसरी चीज़ माननीय अध्यक्ष, जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह इसके निराकरण के लिए है और यह है कि ऐसी छोटे चीजों को फर्स्ट पोइन्ट पर लिया दिया जाय, लास्ट पोइन्ट पर नहीं और इसका नतीजा यह होता है कि रेट्स छोटी होती हैं तो सेल्स टैक्स सेपरेट जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। पर न मालूम क्यों राजस्थान में आपने ऐसी पद्धति जारी की है कि जिसके नतीजे में उपभोक्ताओं पर जो टैक्स का बोझा है वह २५ पर्सेन्ट और आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार की जो बहुत ही गम्भीर स्वरूप की आज तक हमारे सामने मिलें आयी हैं उन पर तो विचार नहीं किया जाता, कोई कार्यवाही नहीं की जाती, कोई कदम नहीं उठाया जाता है और एक जो चीज कमी की गई है वह प्रस्तुत की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने बड़े खर्चों को तो कम करने की तरफ ध्यान देती नहीं और छोटी चीजों की ओर ध्यान देती है।

तो उसूलन यह जो कमी की गई है इसपे मेरा कोई विरोध नहीं है और जब यह प्रस्ताव पारित होने जाएगा तो अपना वोट इसको मैं दूंगा ही माननीय अध्यक्ष, पर चूंकि बहुत बड़ी बात इसके द्वारा सरकार ने नहीं की है तो इसकी ओर सदन का और माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस बात का मैंने अनुरोध किया है कि अन्य चीजों में भी और इसमें भी और कमी की जावे और इनके लिए भी संशोधन विधेयक यहां लाए।

श्री अध्यक्ष—That is support and objection both ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is support for what they have done but objection for what they have not done.

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र ने इस पर बोलते हुए जो कुछ कहा उससे मैं यह नहीं समझ सका कि उन्होंने इसका विरोध किया या समर्थन किया। दो-तीन बातें यह कहीं कि मैं इसके प्रिन्सिपल में ऑपोज करता हूँ। तो दो-तीन बातें ऐसी कहीं गई कि रेट्स जो रिड्यूस हुई हैं उसका विरोध नहीं; पर जनरली उन्होंने यह कहा कि दो-तीन सर्टेन कोमोडिटीज़ ऐसी हैं; मसलन किराणा, जिस पर लास्ट पोइन्ट पर टैक्स लगाया गया है और किसी पर फर्स्ट पोइन्ट कर दिया गया है। उनके समक्ष लास्ट पोइन्ट होना चाहिये और कोई फर्स्ट पोइन्ट पर होना चाहिये।

कन्सीडरेशन पर जो कुछ भी जनरली बोलते हुए उन्होंने पोइन्ट्स रक्खे उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुछ प्रस्ताव यहां चल रहा है उसके विषय में तो ये आते नहीं हैं। एक साधारण सी बात कहें कि ये जो दो कोमोडिटीज़ में साढ़े बारह पर्सेन्ट से सवा छ पर्सेन्ट किया गया है उसके रिडयूस नहीं करने के हक में हों तो इसकी उन्होंने कोई वजह नहीं बताई और अगर वे हक में हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता।

अब रही उनकी लास्ट पोइन्ट और फर्स्ट पोइन्ट की बात तो इसके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जब आगे ऐसा प्रश्न आवे तो माननीय सदस्य को स्वाधीनता है कि उस समय वे अपने विचार प्रकट करें।

फिर भी चूंकि उन्होंने जनरल तौर पर कुछ बातें कहीं हैं तो मैं भी जनरल तौर पर उत्तर दे दूं। जो यह है कि हमारे यहां किराना, सरसों, जीरा और धनिया आदि ये जो कॉमोडिजीज़ हैं ये काफी तादाद में यहां से बाहर जाती हैं और उसका यहां बहुत बड़ा व्यापार भी है, छोटा भी है; तो सरकार ने यह सोचा कि अगर इस पर ज्यादा वजन पड़ेगा तो इस धन्धे वाले लोगों के सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए उनके हितों कि सुरक्षा कि दृष्टि से हमने लास्ट पोइन्ट पर किया है। तो जहां तक इस प्रकार की कॉमोडिटीज़ जो हजारों हो सकती हैं, का सम्बन्ध है, उन पर समय समय पर हर तरह से विचार किया जा सकता है और इसके लिए अगर रेटों में कमी वेशी करनी हो तो धारा सभा का अधिवेशन चलता हो तो उसके द्वारा कानून पास कराकर कर सकते हैं; नहीं तो आर्डीनेन्स के जरिये कर सकते हैं और जब धारा सभा की बैठक होती है तो उसके सामने पेश करते हैं। उस वक्त माननीय सदस्यों को छूट है कि वे पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट करें। जिस प्रकार की बात इस समय आई है मेरे माननीय सदस्य द्वारा तो उसके लिए मैंने जनरल बात का जनरल तौर पर ही निवेदन किया है। पर यहां जो पर्टीकूलर चीज है उसके बारे में उन्होंने खुद ने यही कहा कि वे हक में हैं कि यह रेट रिडयूस होनी चाहिये। वे सिद्धान्ततया इससे सहमत हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई खास बात कहने की अवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इसलिये यह लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकर किया गया।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक, १६५५ को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५५ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५५

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६५५ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष— प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक, १६५५ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेन्डमेन्ट बिल, १६५५ को पास किया गया।

कुं श्री जसवन्तसिंह—very easy game.

राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—श्री अमृतलाल यादव ।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व एवं सहकारी मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५५, को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर मुझे बोलना है ।

श्री अध्यक्ष—Because the Hon'ble Member comes from Jodhpur ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not that, but because the situation in Jodhpur is such that it should be brought to the glaring notice of everybody.

श्री अध्यक्ष—By way of referring it to the Select Committee ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Some how or the other.

श्री अध्यक्ष—Generally ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Some how or the other, in some form or the other, I will start by suggesting a reference to the Select Committee.

यह जो संशोधन विचारार्थ लिया जाय इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे सामने लाया गया है और यह उसमें है कि जो भारत का नागरिक नहीं हो कम से कम मतदान की सूची में उसका स्थान नहीं रहना चाहिये। यह बात तो सही है और इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस मतदान की सूची का मेरे माननीय मित्र जिक्र कर रहे हैं वह डेढ़ साल से बन रही है। जोधपुर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुए ३ साल तो हो गए और उसके बाद तीन एक्स्टेन्शन्स और उसको दिये जा चुके हैं, माननीय अध्यक्ष तीन एक्स्टेन्शन्स दिये गये; इतना ही नहीं लेकिन अभी तक यह कहा जाता है कि वह मतदान की सूची तैयार ही नहीं हुई है। बोर्ड के मेम्बरों को चुपके चुपके यह कहा जाता है कि तुम चुंगी का प्रस्ताव पास करोगे तो तुम्हारी ६ महीने की अवधि बढ़ा दी जायगी। मन्त्री महोदय कहते हों, यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मन्त्रीजी की तरफ से चीफ व्हिप महोदय ऐसा कहा करते हैं। ऐसी स्थिति हो रही है जोधपुर के अन्दर कि जिसका परिणाम यह है कि आज किसी का विश्वास इस बोर्ड में नहीं है ऐसा बोर्ड वहां पर कार्य कर रहा है और यह सूची जिसके सिलसिले में यह छोटासा संशोधन यहां आया है इस सूचि के बनाने के अन्दर, इसके नाम पर वहां चुनाव म्युसिपैलिटि के बराबर धकेले जा रहे हैं।

मैं इसीलिये इस मौके पर आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ऐसी घबराहट की क्या आवश्कयता है कि "citizans of India" को अकेले ही हटाया जा रहा है। आज हिन्दुस्तान के नागरिक जितने हों वे आपस में बैठकर फैसला करेंगे। फिर ऐसी घबराहट की क्या आवश्यकता है ? तीन साल पूरे हो जाने के बाद भी तीन एक्स्टेन्शन्स दिये जा रहे हैं और यह पुराने एक्ट की खामियों की वजह से है। अब जो नया म्युनिसिपल एक्ट आ रहा है, मेरा अन्दाज़ है कि उसमें ऐसी खामियां नहीं रहेंगी। पुराने एक्ट की खामियों की वजह से यह है। नये चुनाव कराने के लिये परेशानियां हो रही हैं तो नये चुनाव का आश्वासन दे दिया जाय तो फिर यह बिल पास होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आश्वासन नहीं दिया गया तो बिल तो पास हो जायगा लेकिन कई कठिनाइयां अवश्य हो जायेंगी। जोधपुर के नागरिकों ने यह निर्णय कर लिया है कि जल्दी से जल्दी चुनाव नहीं होगा तो म्युनिसिपल कमेटी से मौजूदा टेक्स वसूल होना भी कठिन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

होने वाला है। इसलिए ऐसे गंभीर कानून की ओर मैंने सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने के लिये यह प्रस्ताव रखा है। वैसे मानेंगे तो नहीं, लेकिन नहीं मानते हुए भी चुनाव के सिलसिले में कुछ आश्वासन या कुछ निश्चित बात यहां कह दें, ऐसी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हुआ यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सही बात है कि जैसा कि ऑर्डिनेन्सेज़ से मालूम होता है कि आज तक जब तक कि ऑर्डीनेन्स पास नहीं हुआ था तब तक नोन इन्डियन नेशनल भी बोर्ड के मेम्बर्स हो सकते थे और अगर जोधपुर म्युनिसिपलेटी में हो सकते थे; सो ऐसा हुआ या नहीं और अभी तक इससे पहले यह एमेंडमेंट क्यों नहीं आया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता- कानून नहीं होने से संभावना थी कि वह भी जोधपुर म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर...

कु० श्री जसवन्तसिंह—फिर राजस्थान बनने के ६-७ साल हो गये तब तक काम कैसे चलता रहा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कुछ लोग पाकिस्तान से आ गये हैं उनको मना करने के लिए ऐसा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बारे में, सूची के बारे में इन्ट्राज़ का सवाल किया है। उस सम्बन्ध में मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करूंगा कि जोधपुर के बारे में ही मेरा कोई खास ध्यान नहीं है लेकिन इस संबंध में मैंने, जितनी भी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं या जितनी भी पंचायतें हैं जिनमें कि चुनाव की विधि नहीं हुई है उन सब में फौरन चुनाव करा दिये जांय, इस प्रकार का आम ऑर्डर जारी कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि यह जोधपुर पर भी लागू होता है। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी एक्स्टेन्शन के पक्ष में नहीं हूँ और जब तक कोई खास वजह नहीं होगी तब तक किसी भी म्युनिसिपेलिटी को या और किसी बोर्ड को कोई एक्स्टेन्शन नहीं दिया जायगा। मैं चुनाव के लिए सतत तैयार हूँ लेकिन उसका जो तरीका है, जिसमें कि देर हो रही है लिस्ट बनाने में या वार्ड्स के बनाने में, तो वार्ड्स में कौन २ सदस्य होंगे, यह जनरल हिदायत कर दी गई है कि जल्दी ही सारे मामलों को करना है। मैं समझता हूँ कि जो सदस्य इसकी जानकारी चाहते थे उनकी इच्छा पूरी हो गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने दिनों में हो जायगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि जनरल ऑर्डर कर दिया है कि कोई एक्सटेन्शन नहीं दिया जायगा और फौरन सब चुनाव करा दिये जांय। अगर देर करेंगे तो एक्शन लिया जायगा?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध आ गये तो रोका नहीं जायगा, जैसी कि आज तक की प्रणाली रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह आप नतीजे से देखिये। इसके बाद कोई बात अगर ध्यान में लायेंगे तो जवाब दूंगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Thank you.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसका विश्वास दिलाया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर श्री एच० के० व्यास के प्रवर समिति को देने का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १९५५, को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १९५५, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

धौलपुर पेशाकर उत्सादन विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धौलपुर पेशाकर उत्सादन विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"उत्सादन" क्या बला है ?

श्री अध्यक्ष—The English translation is there.

श्री अमृतलाल यादव—'उत्सादन' का मतलब समाप्त किया जाना।

श्री अध्यक्ष- Yes. Shri Jawan singh

श्री जवानसिंह—संशोधन इस प्रकार है; "Delete the words 'Dholpur' and 'Dholpur State' whenever they come in the bill." अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जहां 'धौलपुर' या 'धौलपुर राज्य' शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका विरोध करने के लिये मैंने अपना संशोधन पेश किया है। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक कदम उचित मानकर उठाया और उसके लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया लेकिन उनका दृष्टिकोण इतना संकुचित रहा कि अच्छी चीज होते हुए भी पूरी नहीं हो पाई। यदि पूरे राजस्थान के दृष्टिकोण को सामने रखा होता और यह बात ध्यान में रखी होती कि धौलपुर राज्य के अलावा दूसरे छोटे-बड़े राज्यों में भी, जो अब राजस्थान के अंग हैं, इस प्रकार का व्यवसायों पर टेक्स लगता था या नहीं; उसकी जांच की होती और फिर पूरे राजस्थान को ध्यान में रखा होता तो बहतर होता। ऐसे टेक्स और भी जगह लागू हैं और इस संशोधन के तहत ठीक हो सकते हैं। इस विधेयक से धौलपुर में जो टेक्स लागू है वह तो उठता ही लेकिन उसके साथ ही साथ पूरे राजस्थान में कहीं ऐसे विधेयक लागू हैं तो वह भी रद्द कर दिये जायेंगे, ऐसा मेरा यह संशोधन है। हम सब चाहते हैं कि इस प्रकार के टेक्स उठने चाहिये लेकिन मैं नहीं जानता कि मन्त्रीजी इसको मन्जूर करते है या नहीं। मैं आपके सामने इस बारे में कुछ उदाहरण देकर बताऊंगा कि वाकई कहीं दूसरी रियासतों में इस तरह का कोई टेक्स लिया जाता था या नहीं। इस सम्बन्ध में एक दो दृष्टान्त पेश करना चाहता हूं। पुरानी सिरोही रियासत में कोल्हू चलाने या घाणियों से तेल निकालने पर टेक्स था। उस जमाने में तेलियों पर घाणी चलाने का जो टेक्स लगाया गया था वह आज तक चला आ रहा है। उस जमाने में तेली लोग जंगल में जाकर लकडी काट लाते थे और उसकी घाणी बनाते थे, इसलिये उन पर यह टेक्स लगाया गया था। अब हमने राजस्थान में

[श्री जवानसिंह]

जंगलों के सिलसिले में एक कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत लकड़ी काटने वालों को एक लाइसेन्स लेना पड़ता है। इसलिये आज तक जो घाणी टेक्स के नाम से सिरोही में एक मुश्त रकम सालाना वसूल की जाती है वह उसी प्रकार का कर है जिस प्रकार का धौलपुर में व्यवसाय करने पर टेक्स लगा हुआ है और जिसको उठाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि धौलपुर में जिस तरह का टेक्स है उसी तरह का टेक्स जब दूसरी जगह भी है तो खाली धौलपुर का टेक्स ही क्यों उठाया जाता है सिरोही में भी जो इसी प्रकार का व्यवसाय पर टेक्स है उसको रिमूव करने में क्या परेशानी है? मैं इस सिलसिले में आज से ही नहीं बल्कि दो वर्ष पहले से इस सदन के सामने निवेदन करता आ रहा हूँ; लेकिन इस बारे मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा। इस बारे में यह कहा गया था कि एक कमेटी बनाई गई है जिसके सदस्य रेवेन्यू सेक्रेटरी, मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड आदि हैं और वह कमेटी राजस्थान में और भी किसी जगह इस तरह के टेक्सेज़ हैं तो उनकी वैधानिकता और अवैधानिकता के बारे में रिपोर्ट करेंगी और एक ऐसा कानून लायेंगे जो केवल पर्टिकुलर एरियाज़ में ही टेक्स उठाने के लिये नहीं होगा बल्कि सारे राजस्थान में इस प्रकार के टेक्सेज़ को उठाने के लिये होगा। जो कानून अभी हमारे सामने है वह बहुत ही अपर्याप्त है। जो परेशानी उस एरिया में है उसी प्रकार की परेशानी दूसरे एरियाज़ में भी है, जिसके हटाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है। यह बात कहां तक उचित है, यह मैं नहीं समझ पाया। जहां जहां ऐसे अनुचित टेक्सेज़ हैं और आज तक वसूल हो रहे हैं वे सब बन्द हो जायेंगे और यह तय हो जायगा कि अगर धौलपुर में इस तरह के टेक्स लगे हैं तो वे बन्द हो जायगे और दूसरी जगह भी इस तरह के कोई टेक्स लगे हैं तो उनको हटा दिया जायगा। इससे फायदा यह होगा कि राजस्थान की जनता पर इस तरह के जहां जहां टेक्स लगे हुए हैं वे उठा दिये जायेंगे, ऐसा करने के लिये मैंने अपने संशोधन में इसको पुरानी धौलपुर रियासत तक ही सीमित नहीं किया बल्कि विस्तृत राजस्थान में इसको लागू करने की बात कही है। मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो संशोधन रखा है उसका आशय यह है कि धौलपुर में जो प्रोफेशन टेक्स है उसी तरह का टेक्स यदि किसी दूसरी जगह भी है उनको भी बंद कर दिया जाय और धौलपुर के लिये जो कानून लागू होता है वह वहां भी हो। मैं समझता हूँ, यह स्पष्ट बात है कि धौलपुर की पहले जो स्टेट थी उस समय वहां की सरकार ने यह एक्ट पास किया था। उसके बाद राजस्थान बना और धौलपुर स्टेट भी राजस्थान में मर्ज हुआ। जब राजस्थान एक हो गया तो राजस्थान के एक हिस्से में एक चीज का चलना और दूसरे हिस्से में दूसरी चीज का चलना, इस तरह की विभिन्नता का रहना उपयुक्त नहीं होता। इसलिये इस विभिन्नता को दूर करने के लिये और इसलिये कि सब के साथ समान व्यवहार हो इस दृष्टिकोण से यह विधेयक उपस्थित किया गया है। आप यह कहते हैं कि सिरोही में भी इसी तरह की कोई चीज है। मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि भूतपूर्व सिरोही स्टेट ने ऐसा कोई एक्ट पास किया हो; यदि कॉमोडिटीज़ पर हां टेक्स है तो इस तरह कि कोई बात

[श्री अमृतलाल यादव]

जानकारी में लायेंगे तो उसका भी संशोधन हो सकेगा। लेकिन इस एक्ट में वह चीज नहीं आ सकती। इसमें जो आशय था वह यह था कि अगर कोई जानकारी देंगे तो गवर्नमेन्ट जरूर उस पर विचार करेगी। यदि आवश्यकता हुई और यह समझा गया कि वाकई यह नामुनासिब चीज है तो उसके लिये भी विधेयक लाया जायगा। लेकिन फिलहाल धौलपुर के लिये जो चीज है उसमें इसका समावेश नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री जवानसिंह—क्योंकि यह आश्वासन दिया गया है कि जांच करने के बाद दूसरी जगहों के टेक्सों को रिमूव करने के लिये दूसरा कानून आयगा, ऐसी हालत में मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री जवानसिंह को अपना संशोधन वापिस ने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धौलपुर प्रोफेशन टेक्स एबोलिशन बिल, १९५५ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री अमृतलाल यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि धौलपुर पेशा कर उत्सादन विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि बिल को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेत्तर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष---राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, क्लॉज़ १४ श्री मेहता।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेन्डमेंट को मूव नहीं करना चाहता।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ १४ में इस प्रकार है :

" Sub—clause (3) 'Add the words " and shall be nottfied in the Rajasthan Rajpatra " after the words " the Board " occurring in the last line'. "

मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि रेवेन्यु बोर्ड के पॉवर्स कौन एक्सरसाइज करेगा और पॉवर्स को एक्सरसाइज़ करने के साथ साथ रेवेन्यु बोर्ड के माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स में काम का विभाजन कर सके और काम का विभाजन करने के साथ साथ मेम्बर्स के लिये यह भी निर्णय कर सके कि किस बोर्ड के कौन कौन सदस्य किस किस जगह कौन कौन मुकदमें की सुनवाई कर सकेंगे।

[सभापति, श्री राज हिम्मत सिंह (अटरू,) पदासीन]

मेरा संशोधन यह है कि रेवेन्यु बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार दिये गये हैं, जिन अधिकारों के मातेहत रेवेन्यु बोर्ड के किस-भाग के केसेज़ को कौन मेम्बर सुनेगा तो इस प्रकार के टेरिटोरियल विभाजन को गजट में नोटिफाई करा दिया जाय ताके लोगों को पता चल जाय कि राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड के उच्च सत्ताधारी अध्यक्ष ने रेवेन्यु बोर्ड का टेरिटोरियल विभाजन किया है, वह इस प्रकार किया है, इसकी आवश्यकता है सभापतिजी। हम रेवेन्यु बोर्ड की जानकारी देते हैं वह रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान का जयपुर में है और साथ साथ यह भी कहते हैं कि हमने एक क्लाज पास करके सरकार को ऐसे अधिकार दिये हैं कि रेवेन्यु बोर्ड के कार्य के लिये ऐसी भी आज्ञा जारी कर सकती है कि रेवेन्यु बोर्ड का अमुक सदस्य अमुक जगह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पें जाकर अमुक काम करेंगे, तो इस चीज की जानकारी सर्व साधारण को कराने का अगर कोई कानूनी तरीका हो सकता है, कोई कानूनी व्यवस्था हो सकती है तो वह यह है कि जो इस प्रकार की आज्ञा रेवेन्यु बोर्ड जारी करें, टेरिटोरियल सीमाएं निर्धारित करें, उसको राजस्थान राजपत्र में शाया किया जाय। राजस्थान राजपत्र में शाया होने का मतलब यह होगा कि टेरिटोरियल डिविज़न्स होंगे, उनकी सूचना लोगों को पहुंचा दी गई।

Page No.63

[श्री भैंरूसिंह]

तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है जिसे राजस्व मन्त्रीजी स्वीकार नहीं करेंगे। आपत्ति एक हो सकती है और वह आपत्ति यह हो सकती है कि जैसा कि कल उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि वह डिविज़न्स में, डिस्ट्रिक्ट में भी जायगा और वे यह आश्वासन पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तो भी उन मुकद्दमों में जिनके लिए विशेष बात उनके ध्यान के लाई जायगी और आज्ञा निकाल देंगे कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा में बैठेगा। पर आम तौर से कल वाले आश्वासन को लागू नहीं करेंगे। कल वाली विचार धारा और भावना अगर उनके मस्तिष्क में आज भी है तो उनको इस संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री गोपीलाल यादव—मेरा संशोधन इस क्लॉज १५ में है और संशोधन यह है कि इस क्लॉज १४ का सब क्लॉज (१) के (बी) के बाद एक प्रोवीजो और एड कर दिया जावे; वह यह है :

"Provided that a party aggrieved by a decision of a single member shall have the right to make a special appeal to a bivision dench of the Board within one month from the date of the decision of the single member."

माननीय चेयरमेन, हाई कोर्ट में जैसा कि सबको विदित है, बहुत ऊंचे दर्जे के जजेज़ रखे जाते हैं, पर वहां भी यह प्रोवीजन है कि अगर सिंगल बैंच के किसी फैसले के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो वह उस फैसले को अपील डिविजन बैंच में कर सकता है। रेवेन्यु बोर्ड के अन्दर अब तक ऐसा नहीं है। नतीजा इसका यह होता है कि कई बहुत ही अहम २ मामले, कई बड़ी मिल्कियत के मामले सिंगल बैंच द्वारा तय कर दिये जाते हैं। अगर नीचे की अदालत ने, जैसा कि आज-कल राजस्थान का ऑर्डिनेन्स चल रहा है, टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन, उसके तहत नीचे की अदालत ने फैसला कर दिया; तो मान लीजिये १००० बीघा जमीन का मामला है, या किसी गरीब का १० बीघा जमीन का मामला भी है, तो फिर वह फैसला फाइनल हो जाता है। हाई कोर्ट भी रेवेन्यु बोर्ड के खिलाफ नहीं सुनता। वह कहता है कि कोई कानून के खिलाफ किया गया हो तो बताओ, एप्रेसियेशन ऑफ एवीडेन्स को हम नहीं सुनेंगे।

तो हाई कोर्ट में जो सुविधा दी हुई है वह उसमें भी, रेवेन्यु बोर्ड में भी दी जानी चाहिये। यह एक अहम बात है। यह इस क्लॉज में होना आवश्यक है कि अगर निचली बैंच के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो एक महीने के अन्दर अन्दर डिविजन बैंच में अपील कर सकता है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वे यहां हैं ही नहीं।

श्री गोपीलाल यादव—वे आ रहे हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वे सदन में ही नहीं है, उन्होंने सुना ही नहीं है; तो वे क्या जवाब देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री) माननीय चेयरमेन, मैं सुन रहा था। I was in the House

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपके कान पीछे भी हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो आप....

श्री सभापति (श्री राज हिम्मत सिंह)—लाउड स्पीकर्स चारों ओर लगे हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, एक संशोधन दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है। वे शायद इस अमेन्डमेन्ट को पेश नहीं करते अगर वे रेवेन्यु बोर्ड के वर्किंग के प्रोसीजर से वाकिफ होते। डिविजन ऑफ वैंचेज कैसे किये जाते हैं इस चीज़ से वाकिफ होते तो वे शायद ऐसा संशोधन यहां नही लाते कि इसे गजट में शाया किया जाय। यह सेक्शन मुलाहिजा फरमायें। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते तो आपको पता चलता कि जो इस संशोधन के जरिये तरीका अख्तयार करना चाहते हैं, वह बिल्कुल अव्यवहारिक है और गलत है।

इसमें सिर्फ दो बातें सीधी सी रखी हुई हैं। हां, रूल्स तो गजट में पब्लिश होंगे ही। यह क्लॉज १४ (ए) इस प्रकार है:

"The jurisdiction of the Board may be exercised—:

(a) by the Chairman or any other member of the Board sitting singly, or'

इसका क्या गजट कराना चाहते हैं it is provided in the law. और (बी) तथा दूसरा यों है:

"(b) by a Bench of the Board consisting of two or more members."

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(2) Subject to any rules made in that behalf, the Chairman may distribute the business of the Board and make such territorial or other divisions of its jurisdiction as he may deem fit."

माननीय चेयरमेन, मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक रेवेन्यू बोर्ड के केस वर्क का, डिविजन बैंचेज़ के वर्क का ताल्लुक है, मुकदमों की नेचर, अहमियत को देखते हुए बैंचेज़ बनती हैं; कुछ मुकदमें ऐसे हैं जिन्हें सिंगल बैंच सुनेगी, कुछ ऐसे हैं जिन्हें डिविजन बैंच सुनेगी और कुछ मुकदमें ऐसी अहमियत के होंगे कि जिनको फुल बैंच सुनेगी। इनको डे टु डे नहीं, एक वीक में चेंज करना पड़ता है, रोज मर्रा मुकदमें इन्स्टीट्यूट करने पड़ते हैं; इनको गजट में शाया करना शुरू करेंगे तो गजट एन्ड-लैस होगा, उसका कोई अन्त न होगा और यह नामुमकिन होगा।

हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि कॉज़ लिस्ट लग जाती है और बार एसोशियेशन में एक कॉपी भेज दी जाती है, यहां भी यही होता है।

दूसरा अमेंडमेन्ट श्री गोपीलालजी यादव ने जो पेश किया है उसको मैं स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं देखता। इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं खुद उनकी भावना को कि मुकदमें वालों को सहूलियतें मिले, महसूस करता हूँ और इस सम्बन्ध में जो उन्होंने एमेन्डमेन्ट रखा है कि एक महीने में सिंगल बैंच के फैसले से असन्तुष्ट होने पर आगे अपील करे उसको मंजूर करता हूँ। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय सभापति जी, मेरे संशोधनों के बारे में माननीय राजस्व मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसका आधार मैं यह मानता हूँ कि उन्होंने सब क्लॉज़ (२) में यह लिखा है:-

"Subject to any rules made in that behalf the Chairman may distribute the business of the Board and make such territorial or other divisions of its jurisdiction as he may deem fit."

उसके आधार पर दिया है। मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री ने इस संशोधन का सम्बन्ध ऊपर के क्लॉज़ से लगा कर यह कह दिया है कि यह क्लॉज़ पढ़ा नहीं गया। मैं मानता हूँ कि इसको रेवेन्यू मिनिस्टर ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे और बाद में भी पढ़ेंगे। मगर मैं यह कहूँगा कि वे मेरा मतलब नहीं समझे। अगर वे इस संशोधन का मतलब समझते तो उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैंने इसको पढ़ा नहीं। मेरा संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है और इसको और भी स्पष्ट करने के लिये मैंने यह भी कह दिया था कि रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के जो अधिकार हैं दूसरे मेम्बरों को बिज़नेस ऑफ दी बोर्ड रिगार्डिंग टेरिटोरियल एण्ड अदर डिविजन्स ऑफ इट्स

[श्री भैरूंसिंह]

जुरिसडिक्शन, उसका मतलब यह नहीं कि फलां मुकदमा फलां दिन लेंगे। मगर इसका मतलब यह है कि फलां डिस्ट्रिक्ट का मुकदमा फलां मेम्बर लेंगे और सुनेंगे और यह बात तो गजट में शाया होनी चाहिये। उनको टेरिटोरियल डिविजन करने का अधिकार है मगर लोगों को कानून के अनुसार सूचना देने के लिये इसको गजट में शाया किया जावे। मेरे संशोधन का यह मतलब था और उसको मैंने स्पष्ट किया। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत क्यों हो रही है, यह कह कर इसको टालना कि मुकदमों को गजट में शाया करना मुश्किल है, यह बात नहीं है। यह तो कम से कम गजट में शाया होनी चाहिये कि फलां मेम्बर कोटा या बूंदी या फलां जगह के मामलों को सुनेंगे। गजट में शाया करने के अलावा दूसरा कोई जनता को सूचना देने का जरिया नहीं हो सकता। अगर एक शख्स जोधपुर में रहता है, उसको कह दिया जावे या किसी दूसरी जगह रहने वाले को कह दिया जावे कि फलां मेम्बर फलां जगह के मामलों को सुनेंगे तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि सारी जनता को राजस्थान भर में मालूम हो गया। सारी जनता को कानूनी सूचना इसकी किस प्रकार मिले उसके लिए एक ही रास्ता है और वह है गजट में शाया कराने का। उन्होंने पढ़ तो लिया मगर जरा समझ से काम लेते तो यह नहीं कहते। अगर टेरिटोरियल के लिये गजट में शाया कराने की बात मंजूर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो संशोधन पेश किया है वह सब क्लॉज़ (२) में जैसे दिया गया है :

"(2) Subject to any rules made in that behalf the Chairman may distribute the business of the Board and make such territorial or other divisions of its jurisdiction as he may deem fit."

तीसरे क्लॉज़ में यह है :

"(3) Every order made or act done under sub-section (1) or in accordance with the distfibution of division made under sub-section (2) shall be deemed to be the order of act, as the case may be, of the Board."

तो केसेज़ के डिस्पोज़ल का जहां तक प्रश्न आता है वह सब क्लॉज़ (१) में चला गया। तो मेरा जो संशोधन है वह इस दूसरे भाग के लिए है। इसका मतलब यह है कि कोई भी टेरिटोरियल के सम्बन्ध में काम जिस मेम्बर को सुपुर्द किया जावे वह राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो; राजस्वमंत्री ने जो कहा है वह पहले भाग के लिये कहा है। अगर भूल से कुछ गलत कह दिया है तो अपनी भूल को अब भी मान लेंगे और मैं समझता हूँ कि उसको सुधार लेंगे, इसी में अक्लमन्दी होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कहा है वह ठीक है। अक्लमन्दी क्या थी, यह तो अभी पता चल जाएगा। जब माननीय सदस्य अपने एमेन्डमेंट को पढ़ेंगे तो सब मालूम हो जावेगा।

श्री सभापति—राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल के क्लॉज़ १४ पर श्री भैंरूसिंह के एमेन्डमेन्ट्स है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—अक्ल का फैसला तो होना चाहिये।

श्री सभापति—राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल के क्लॉज़ १४ पर श्री भैंरूसिंह के एमेन्डमेन्ट है।

प्रश्न यह है कि ये एमेन्डमेंट्स स्वीकार किये जांय।

(अस्वीकृत)

एमेंडमेंट्स अस्वीकृत हुये।

(विराम)

इसी क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (बी) के बाद श्री गोपीलाल यादव का एमेंडमेंट है जिसे मिनिस्टर इन्चार्ज ने स्वीकार किया है।

प्रश्न यह है कि उनका मेन्डनेन्ट स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री गोपीलाल यादव का एमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस बिल का क्लॉज़ १४, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ एज एमेन्डेड विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १५ पर कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बने।

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १६ पर श्री नाथूरामजी का अमेन्डमेंट है ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, सर, क्लॉज़ १६ लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो सदन के समक्ष विचार के लिये है उसमें मेरा एक छोटा सा संशोधन है और वह संशोधन यों तो बिल्कुल ही एक फोर्मल विचार का है और इसको इसी वजह से पेश करना इस सदन में जरूरी हो जाता है । क्लॉज़ १५ में जो भाषा हमने पास की है उसको पढ़ने से मालूम होगा कि:—

"The Chairman or any member of the Board sitting singly for the disposal of any case or proceeding may, if he thinks fit, for reasons to recorded in writing refer any question of law..."

ये वर्ड्स यहां पर हैं :

"refer any question of law of the construction of any document arisingn before him in such case or proceeding, for the opinion of a bench, and the case or proceeding shall be disposed of in accordance with such opinion."

यह बात है । क्लॉज़ १५ में यह कहा गया है कि इस तरह के सम्बन्धित मामले के बारे में अगर कोई शंका हो तो कुछ मामले जो ऊपर कहे गये हैं वे हाई कोर्ट को रेफर किये जा सकते हैं कि ये मामले आया दिवानी केसेज़ के हैं या रेवेन्यू केसेज़ के । अब जो संशोधन मैं मूव करना चाहता हूँ वह यह है कि "Snbstitute Clause (1 by the followidg":- जो भाषा सब क्लॉज़ (१) में है उसको हटा कर मेरे अमेन्डमेन्ट के मुताबिक कर दी जाय और ओरिजिनिल बिल में जैसी भाषा है वैसी कर दी जाय :

"If in any case it appears to a Bench that any such question as is referred to in section 15 is of public importance and that it is expcdient to obtain the opinion of the High Court there on the Bench may refer

तो ये शब्द इस तरह से कर दिये जांय बजाय इसके कि जो शब्द अभी मौजूद है, क्योंकि मैंने जिस तरह का सुझाव रखा है उस तरह का अगर क्लॉज़ १ में नहीं शुमार किया जायगा तो

[श्री नाथूराम मिर्धा]

मौजूदा फोर्म में जिस तरह का क्लॉज़ १५ है और जो बातें उसमें रखी गई हैं वे पूरी कवर नहीं होती हैं। अभी जो मौजूदा शब्द है वे ये है :

"If in any case it appears to a Bench that a question of law or fact has arisen or is likely to arise..."

इसमें सिर्फ यह क्वेश्चन है कि "question of law or fact has arisen or is likely to arise..."

ये सारी बातें ऊपर क्लॉज़ १५ में कही गई हैं, "Custome having the force of law" है।

वे सारी बातें पूरी नहीं होती है। तो सिर्फ इन शब्दों को हटा कर मैंने जो शब्द रखे हैं वे इसमें जोड़ दिये जांय तो यह मामला साफ हो जायगा। वैसे यह एक फोर्मल नेचर का है लेकिन शब्दों को ठीक तरह से नहीं रखने से कानून में ठीक नहीं रहता।

श्री गोपीलाल यादव—इसको पढ़ दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—ओरिजिनल क्लॉज़ की तरह है :

"If in any case it appears to a Bench that any such question as is referred to in section 15 is of public importance and that it is expedient to obtain the opinion of the High Court thereon the Bench may refer the question to that court for consideration."

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन, में श्री नाथूरामजी मिर्धा का जो संशोधन है उसको स्वीकार करता हूँ।

श्री गोपिलाल यादव—इसमें 'दी' के बजाय 'ए' लगायें तो अच्छा।

"'a bench' instead of 'the bench.'"

इससे 'दी' का मतलब यह हो जायगा कि ऊपर वाले सिंगल बैंच ने रेफर किया उस केस को और बैंच यह समझे कि हाई कोर्ट में भेजे तो वह जायगा। बैंच के सामने कोई मामला आया और यह समझे कि इसको हाई कोर्ट में भेजे तो भेज सकेगी; इसलिए यह "If in any case it appears to a Bench of the Board..."

श्री गोपीलाल यादव—सामने आने पर ही रेफर करेगी ; सिंगल बैंच है या डिविजन बैंच है, उनके सामने आयगा तब ही रेफर करेगी।

क्लॉज़ १५ में यह है :

" The Chairman or any member of the Board sitting singly "

क्लॉज़ १५ का मतलब यह है कि एक मेम्बर के सामने कोई दिक्कत आ जाय तो उसको बोर्ड के सामने भेज और दिक्कत इसमें दी हुई है कि किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है। संशोधन में नहीं है कि बैंच के सामने कोई दिक्कत आ जाय तो उसको हाई कोर्ट में भेजे, किन्तु इससे सिर्फ सिंगल मेम्बर या बैंच को ही भेज सकता है। क्लॉज़ १६ के अन्दर है ....

"If in any case it appears to the Chairman that any such question as is referred to in..."

श्री दामोदरलाल व्यास-जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसमें 'चेयरमेन' लफ्ज़ नहीं है।

श्री गोपिलाल यादव—चेयरमेन की जगह बैंच हो गया।

" If in any case it appears to the Bench......"

श्री सभापति—इसमें 'a' ही है।

श्री गोपीलाल यादव—Then it is all right.

श्री सभापति—आप "the" कैसे पढ़ रहे थे ?

श्री गोपिलाल यादव—पढ़ने में ग़लती हो गई।

श्री सभापति—क्लॉज़ १६ पर श्री नाथूरामजी मिर्धा का जो अमेन्डमेन्ट है जिसको मिनिस्टर इनचार्ज ने स्वीकार किया है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, एज़ अमेन्डेड,(विराम) विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ १६, एज़ अमेन्डेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७ श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amen'dment to Clause 17:—

" Substitute the words a fullBench of Board, for the words another meber, in ldne 3 and further delete the words "including......it" occurring in the last line of sub--clause (2)."

चेयरमेन महोदय, अभी क्लॉज़ १७ का सब क्लॉज़ (२)इस प्रकार है :

" Where such members are equally divided in opinion as to the order to be made in such case, the case shall be referred to another member and decided in accordance with the opinion of the majority of the members inuluding such other member who heard it."

इस सब क्लॉज़(२)के माफिक यदि किसी मामले में मतभेद हो जाय और बराबर बराबर राय हो तो आगे क्या रास्ता निकाला जायगा, उसके बारे में यहां व्यवस्था रखी गई है कि उसको तीसरे मेम्बर के पास भेज दिया जाय और तीसरा मेम्बर जो फैसला देगा वह माना जयगा, यानि तीसरे मेम्बर के मिलने से जो बहुमत हो जायगा वह माना जयगा। माननीय चेयरमेंन, दो राय हो गई फैसले में, तीसरा मेम्बर जो भेजा जाता है और यदि वह दोनों से सहमत नहीं होता है तो फिर क्या स्थिति होगी ? इस क्लॉज़ के माफिक तो उसके लिए यह लाजमी हो जाता है कि उसको जो दो राय हुई है उसके माफिक चलना चाहिए लेकिन उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो राय हो चुकी है उसी पर अपना विचार बनावे। इसलिए मैंने अपना यह संशोधन रखा है कि जब किसी केस में दो राय हो जांय तो मामला तीसरे आदमी के पास न भेज कर फुल बेंच में भेजा जाय। मैं उम्मीद करूंगा कि जो इसमें कठिनाइयें आती हैं उनको देखते हुए माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे अफसोस है कि मैं माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं कर सकता इसलिए कि माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट उचित नहीं प्रतीत होता। इसमें हमने यह प्रोसिजर रखा है कि अगर दो मेम्बर्स में डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन हो जाय तो उसका थर्ड जज को रेफर कर दिया जायग। और उसमें mejority of the members की राय प्रिवेल होगी including those two members who have heard that case.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

माननीय सदस्य ने जो दलील दी है वह ठीक नहीं बैठती। दो के अलावा तीसरे की राय अलग हो जायगी। मैं नहीं समझ सका कि एक पार्टी के हक में थर्ड राय क्या हो सकती है, तो उसके फेवर में होगी या खिलाफ होगी। अतः माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह बिलकुल ठीक नहीं है। हाईकोर्ट में भी देखा होगा कि "that case is referred to the third Judge."

सिमिलरली यह प्रोविजन रखा गया है। उस केस को दो तो सुनेगें ही और थर्ड रखा जायगा वह भी सुनेगा ही, पार्टी को सुनेगा ही। दो जजेज़ फैसला कर चुके हैं उनकी राय को भी वह देखेगा। अब तीसरे जज के फैसले में जो मैजोरिटी व्यूज़ होंगी वे प्रिवेल होंगी। फुल बैंच को रेफर करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वह अपने आप में फुल बेन्च हो जाती है तीन मेम्बरों से। अतः यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार करने योग्य नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लायक दोस्त इसको वापिस ले लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया मुझे उससे सन्तोष नहीं है। हो सकता है कि हाई कोर्ट में इस प्रकार की व्यवस्था हो। वहां अगर दो मेम्बरों में मतभेद हो तो तीसरे के पास भेज देते है और इस प्रकार तीसरा मेम्बर जो राय दे देता है उसको मान लिया जाता है। मेरा यह निश्चित विचार है कि रेवेन्यु में इस तरह हो नहीं सकता; इसमें दो मत होने के साथ तीसरा मत भी हो सकता है। मान लीजिये कि एक पार्टी में जमीन के बारे में झगड़ा है, उस झगडे में एक तरफ तो यह मत है कि यह जमीन एक पार्टी को दिलाई जाय और दूसरे का मत है कि वह जमीन दूसरे को दिलाई जाय। इसमें तीसरा मत यह भी हो सकता है कि इस बीस बीघा में से १६ बीघा एक को दिया जाय और ४ बीघा दूसरे को। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो जैसी कि बिल में व्यवस्था है उसके अनुसार तीसरे मेम्बर के लिये आवश्यक हो जाता है कि या तो वह जो दो रायें हुई कि हैं उनमें अपनी राय मिलाये क्यों कि वह खुद की अपनी राय को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिये मैं फिर से माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट का मामला दूसरे ढंग का है और रेवेन्यू का मामला दूसरे ढंग का। अगर माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अपने संशोधन को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—मैं इसमें एक बात पेश करना चाहता हूँ.........

श्री सभापति—No, I will not allow.

श्री जवानसिंह—क्या माननीय सभापतिजी यह आपका रूलिंग है कि आयन्दा भी समर्थन या ऑपोज़ करने के लिये बोलने नहीं दिया जायगा ?

श्री सभापति—जब कि रिप्लाई हो चुका है तो इस बारे में नहीं कहा जा सकता।

[श्री सभापति]

अब मैं श्री चांदमल मेहता के अमेन्डमेन्ट को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न यह है कि वह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ नं० १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २०

श्री भैंरूसिंह से क्या आप अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहते ?

श्री **भैंरूसिंह** (दांता रामगढ़)—माननीय सभापति, क्लॉज़ २० बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें मेरा जो संशोधन है वह उससे कम महत्व पूर्ण नहीं। मेरा संशोधन यह है :

"In sub-clause (1) substitute the word 'districts' for the word 'Divisions.'"

इस क्लॉज़ २० के अनुसार सरकार ने यह व्यवस्था की है कि सरकार प्रशासनिक दृष्टि से अगर चाहे तो राजस्थान डिवीजन्स में विभक्त कर सकती है। आज जिस तरह से राजस्थान के पांच डिवीजन्स हैं वे भी डिवीजन रह सकते हैं और सरकार चाहे तो और भी इस प्रकार के डिवीजन्स का निर्माण कर सकती है।

मेरा संशोधन इसके विपरीत है। वह संशोधन है कि "डिवीजन्स" के स्थान पर सरकार " डिस्ट्रिक्ट्स " निर्माण करे। जिस समय इस बिल पर आम बहस हो रही थी उस वक्त माननीय

[श्री भैंरूसिंह]

सभापति महोदय, इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने यह राय व्यक्त की थी राजस्थान में जो आज कमिश्नर्स का पद है वह पद बिल्कुल फालतू है, यह सरकार का अनावश्यक खर्चा है, उनके पास किसी प्रकार का प्रशासनिक काम नहीं; इस सम्बन्ध में सदन द्वारा नियुक्त एस्टीमेंट्स कमेटीकी रिपोर्ट को भी माननीय सदस्यों ने पढ़ कर सुनाया। उस कमेटी ने यह राय जाहिर की है कि राजस्थानमें कमिश्नर्स की कोई आवश्यकता नहीं और इस सम्बन्ध में उन्होंने, राजस्थान कमिश्नर्स और राजस्थान के रेवेन्यु सेक्रेटरी का एग्ज़ामिनेशन किया। जब उनसे पूछा गया कि कमिश्नर्स की क्या आवश्यकता है, इस बारे में कमिश्नर्स से भी जानकारी की। इस बारे में जो जवाब उनसे मिला राजस्थान एक शिशु प्रान्त है, राजस्थान अभी अभी बना है, यह बात तीन साल पहले की हैं। उस वक्त इस प्रकार की राय व्यक्तकी थी कि यह शिशु प्रान्त है, इसलिये इस पद की आवश्यकता हैं। यह जिस समय राय व्यक्त की थी उस समय इसको शिशु प्रान्त कहा जा सकता था। जिस समय रेवेन्यु सेक्रेटरी और कमिश्नर्स का एक्जामिनेशन हो रहा था तो उनको ऐसा भय था कि एस्टीमेटस कमेटी कहीं यह नहीं कहे कि राजस्थान शिशु प्रान्त नहीं और कहीं यह सिफारिश न कर दे कि राजस्थान में कमिश्नर्स का काम है वह सारा का सारा समाप्त कर दिया जाय। यह उस समय की बात है जब कि राजस्थान प्रान्त शिशु प्रान्त था। यह तीन साल पहले का किस्सा है। लेकिन आज राजस्थान का शिशुकाल नहीं है। जहांतक जनतंत्रवाद का प्रश्न है मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि भारतवर्षमें जनतन्त्रवाद की प्रगति अभी तक शिशु अवस्था में है। जितने भी प्रशासनिक प्रश्न हैं, जहां तक प्रशासन का प्रश्न है कमिश्नरों के बारे में हमें दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। जहां तक शिशु की बात है मैं यह कहना चाहता हूं कि शिशु के ऊपर ज्यादा रूपयों का बोझ न पड़े, यह भी सोचना पडेगा, बच्चे पर अगर ज्यादा बोझ डाल दिया गया तो वह सहन नहीं कर सकेगा। अतः जितना भी बोझ कम किया जाय, बोझ के कम करने की आवश्यकता हैं।

आज हमारे प्रान्त में कमिश्नर्स पर खर्चा आता है करीब ४ लाख का। हमारे यहां पांच कमिश्नरियां है; जयपुर, जोधपुर,बीकानेर, कोटा और उदयपुर, इन पांच कमिश्नरियों में शासन का खर्चा करीब ५ लाख के आता है। एक तरफ जब राजस्थान सरकार विकास का काम करना चाहती है और जब कभी इन कामों के लिये कहा जाता है तो सरकार यह बात कहती है कि हमारे पास अर्थ (वित) की कमी है। या तो यह होता है कि जनता पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाये, जनता अपने कठिन परिश्रम से उपार्जित करती है उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों पर खर्च किया जाय, सुधार के नाम पर सामुदायिक विकास योजनाओं के नाम पर। जितने भी रचनात्मक कार्य के केन्द्र बने हुए हैं उनकी तरक्की के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार खर्चाकरना चाहती है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जनता का जो पैसा है उसको इस प्रकार खर्च किया जाय ताकि उसका सदुपयोग हो सके और इसके साथ साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि आज हम जो यह पैसा खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग होता है या नहीं; इसको भी सोचना पडेगा।

[श्री भैंरूसिंह]

मैंने कमिश्नर्स के बारे में एस्टीमेटस कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया । अब हमें यह देखना है कि क्या हमारे प्रान्त के कलेक्टर योग्य नहीं हैं । उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आज जितने भी कलेक्टर्स हैं वे सब आई० ए० एस केडर के हैं । राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आगे बढ़कर वे आई०ए०एस० में आये हैं इसलिये वे योग्य अफसर हैं, आइ० ए० एस० के काबिल है । इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि आज जितने भी कलेक्टर्स है वे क्या बिना कमिश्नर के गाइडेन्स के कार्य कर सकते हैं या नहीं ? जब कि सभी ऑफिसर्स आइ० ए० एस है तो इसमें अयोग्यता का तो सवाल हीं पैदा नहीं होता ।

जब इस प्रकार एक व्यक्ति आर० ए० एस से बढ़ कर आई० ए० एस० में आता है तो वास्तव में उसकी योग्यता बढ़ जाती है और उसको इस प्रकार से अभिमान हो जाता है कि अब मैं आइ० ए० एस० हो गया, अब मेरे अधिकारों को कौन चुनौती देने वाला है ?

दूसरी तरफ हम देखेंगे कि राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्टस् हैं उन सब में कलेक्टर्स हैं, वे आर० ए० एस. के केडर के हैं । अतः उनकी योग्यता के बारे में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । जब डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर भी योग्य आदमी है और सेक्रेटेरिएट के आइ० ए० एस० ऑफिसर भी योग्य है तो फिर इन दोनों के बीच किसी आदमी को लाना अच्छी बात नहीं इनमें बीच में किसी एक को पोस्ट ऑफिस के तौर पर यदि हम स्थापित करें तो इसकी आवश्यकता क्या है ? कलेक्टर सीधी बात करेगा सेक्रेटेरियट से । कलेक्टर भी आई. ए.एस. और सेक्रेटरी भी आई. ए. एस. यह भी योग्य । और वह भी योग्य, फिर इन दो योग्य व्यक्तियों के बीच में यह तीसरा योग्य व्यक्ति किस काम का, इसकी आवश्यकता क्यों? तीसरा वैसे भी बुरा होता है । जिस तरह कि हमारे यहां गांवों में एक प्रथा प्रचलित है कि दो की बात में अगर तीसरा आ जावे तो वह बात बिगड़ जाती है । तो ये तीन तो बुरे होते हैं । तो इस तरह से भी तीसरे आदमी की वैसे भी आवश्यकता नहीं ।

अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कमिश्नर के पद की आवश्यकता है भी या नहीं । इनका काम क्या है ? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फैसले की अपीलें, उनके एग्ज़ीक्युटिव आर्डर्स, लैंएड रेवेन्यू की अपीलें सुनने का अधिकार रेवेन्यू बिल में दे दिये हैं । मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है । जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट जज की अपील सीधी हाई कोर्ट में जाती है, उसमें बीच में सुनने का अधिकार जिस तरह कमिश्नर को नहीं होता उसी तरह से रेवेन्यू की अपीलें भी कमिश्नर के पास न जाकर सीधी रेवेन्यू बोर्ड में आनी चाहिये । डिस्ट्रिक्ट जज की अपीलें सीधी जाती है हाई कोर्ट में, बीच में उनको सुनने वाला कोई नहीं, बीच में रोकने वाला कोई नहीं । पर रेवेन्यू की अपीलें तो बीच में रुकने वाली हैं । रेवेन्यू के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपीलें सीधी रेवेन्यू बोर्ड में नहीं पहुंचेंगी, डिविजनल कमिश्नर के पास आकर अपने दावे करने पडेंगे, उससे न्याय प्राप्त करने की कोशिश करनी पडेगी । इससे एक तो लिटीगेशन बढ़ेगा और दूसरा उसको न्याय प्राप्त करने में देरी लगेगी और खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा । तो हम यह चाहते हैं कि सस्ता और जल्दी न्याय

[श्री भैरूसिंह]

मिले और लिटिगेशन कम हो। साथ ही यह भी चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं का खर्चा भी कम हो। लोगों पर कर का भार कम हो, तो हमें ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा और इस आवश्यक पद को रखने निस्सारता को मानकर इसे समाप्त कर देना होगा। आज कलेक्टर और सेक्रेटरियट का सीधा सम्बध कर दिया जावे तो यह कमिश्नर का पद निरर्थक सिद्ध होगा और इस तरह की भावना सरकार के सेक्रेटरियों ने भी व्यक्त की है। एस्टीमेंट कमेटी के सामने उन्होंने भी कहा है कि यह निर्थरक चीज है पर अभी कुछ दिनों के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि उनका भी मस्तिष्क इस बात की ओर दौड़ रहा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि यह कमिश्नर का पद निरर्थक सिद्ध होने वाला है। इसके निरर्थकपने में किसी को सन्देह नहीं है, पर जो विवाद है वह यह है कि अभी परिस्थिति नहीं है। पर यह भी जो विवाद किया गया एस्टीमेंट कमेटी के सामने उसे भी किये हुए दो साल हो गये। दो वर्ष पूर्व यह बात कही गई थी। अब हमें वह सोचना है कि यह दो साल में हमारा बचपन दूर हुआ या नहीं, दो साल पहले हमारा बचपन था, वह २ साल बाद नहीं रहना चाहिये। सेवा करने वाले अभी भी बचपन में काम कर रहे हैं क्या? यदि कोई सदस्य सरकार के कारनामों का जिस प्रकार आज दिग्दर्शन कराता है उसी तरह का ही काम यदि चलता है और अगर यह सही है तो मैं मानूंगा कि अभी बचपन गया नहीं है। पर उस बचपने को कमिश्नर से दूर करा देंगे क्या? उस बचपन को करने में तो खुद कमिश्नर भी शामिल है। तो यह सवाल ही नहीं रहता कि कमिश्नर को इसलिये रक्खा गया है कि बचपन को दूर किया जा सके। अगर यह कहते हैं आप कि कमिश्नर को रखते है बचपन को दूर करने के लिये, समझ समझ कर राय देने के लिये; पर मैं कहता हूं इस राय का भी कोई फायदा नहीं। वह राय भी नहीं दे सकते। कोटा का नमूना हमारे सामने है। वहां भी कमिश्नर था, आई. ए. एस., कलेक्टर वहां का आई. ए. एस., एस. डी. ओ. वहां का आई. ए. एस. और भी वहां कई आर. पी. एस., एस. पी. वहां का आई. पी. एस. और फिर भी वहां चार पांच आदमी मर गये। बचपन वहां का कमिश्नर से भी दूर नहीं हुआ। तो मेरा यह कहना है कि कमिनश्र साहब अगर वहां अपनी राय देते और बचपन दूर करते तो ये हत्याएं नहीं होतीं। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि उनसे कोई राय भी नहीं मिलती। एक ही केडर के आदमी हैं वे। कलेक्टर की ही कैडर का आदमी आज कमिश्नर बन गया। सब कानून से काम करते हैं। कानून बने हुए हैं। अगर कोई रद्दोबदल कानून में करना हो, इधर उधर कोई राय से काम करना हो तो वह सब गवर्नमेन्ट लेवल पर सेक्रेटरियट लेवल पर बात होती है। हमने तो सिर्फ पोस्टमेन का काम कमिश्नर को दे रक्खा है तो कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी को टालने के लिए अगर कलेक्टर कोई मामला उनके सामने भेजता है तो वह उस पर खुद अपनी राय नहीं देगा, आई. ए. एस. हैं फिर भी वह उसे राय देने के लिए सेक्रेटेरियट में भेज देगा, लिख देगा, सेक्रेटेरियट को रेफर किया जावे, सेक्रेटरी को रेफर किया जावे, मिनिस्टर साहब को रेफर किया जावे और वह कागज चलता जावेगा सेक्रेटरी के पास और फिर वह रेड टैपिज्म का चक्कर लगाकर फिर कमिश्नर के ही मार्फत कलेक्टर को भेज दिया जावेगा; "Forwarded for necessary actiouto the District Collector." यह काम है आज-कल के कमिश्नर का और यह है उनका रवैया। तो बात यह है कि अगर मामले के डिस्पोजल में इस देरी को बनाये रखना

[श्री भैंरूसिंह]

है और इन पर जो फिजूलखर्ची है उसको बनाये रखना है तब तो दूसरी बात है, नहीं तो मन में आप सब समझते हैं कि इनकी क्या आवश्कता है। कहने के लिए आप ऊपर से भले ही कह दें कि ऐसा नहीं हो सकता। आप कहने के लिए यह भी कह दें कि कमिश्नर की बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेने की आप कोशिश कर रहें हैं, एग्जीक्यूटिव के कई ऐसे काम हैं जो कलक्टर अकेला नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी मैं अर्ज कर दूं कि कोटा में तीन डिस्ट्रिक्टस हैं और उन पर एक कमिश्नर है। बीकानेर में चार या तीन डिस्ट्रिक्टस हैं, वहां भी एक कमिश्नर काम करता है। जयपुर में छः सात डिस्ट्रिक्टस हैं, वहां भी एक ही कमिश्नर काम करता है, और जोधपुर में पांच डिस्ट्रिक्टस हैं वहां भी एक ही कमिश्नर काम करता है, उदयपुर में भी इसी तरह कितने भी डिस्ट्रिक्टस हों वहां भी भी एक ही कमिश्नर काम करता हैं। तो इस बात से यह पता चलता है कि तीन कलेक्टर के लिए भी एक कमिश्नर की आवश्यकता है, दो के लिये भी एक कमिश्नर की और जहां छ और सात हैं वहां एक कमिश्नर की आवश्यकता हैं। तो मतलब इसका यह है कि काम के कारण से कमिश्नर की नियुक्ति नहीं है, किसी डिट्रिक्ट में काम ज्यादा है तो वहां भी एक ही कमिश्नर है, तो ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ सकती कि अधिकता की वजह से कमिश्नर का पद रक्खा गया है। इस पर इस प्रकार का सवाल भी पैदा होगा कि एक तरफ एक कमिश्नर दो डिस्ट्रिक्ट का काम करता है तो वह दूसरी तरफ छ या सात डिस्ट्रिक्ट्स का काम कैसे कर सकेगा ? एक सवाल नहीं तो फिर यह भी पैदा होगा कि फिर डिस्ट्रिक्ट का काम सब का बराबर होता होगा, तो फिर उसी प्रोपोरशनेटली कमिश्नर्स भी अधिक होने चाहिऐ। पर यह बात नहीं है हकीकत में। काम का तो वहां कोई सवाल नहीं है। केवल कमिश्नर रहे, यह बात है। काम के विभाजन का कोई सवाल नहीं है। तो विभाजन न होना इस बात की दलील है कि हम कमिश्नर का पद काम की वजह से नहीं रख रहे हैं; पर चल रहा है, कई वर्षों से चला आ रहा है इसलिए चलाया जा रहा है। उसको हटाने की हमारी हिम्मत नहीं है। हमारे में उतना साहस नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी भी जनतन्त्री सरकार को पहले के पुराने कानूनों को सामने रखकर उनसे शासन व्यवस्था के लिए प्रेरणा लेकर नहीं चलना चाहिऐ और न कोई कानून बनाना चाहिऐ। वरन् राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है उसकी आर्थिक हालत क्या है, आगे आने वाली क्या स्थिति है प्रशासनिक सेवाओं में ठीक तरह से काम करने का माद्दा है या नहीं ? कौन योग्यता से काम करता है और कौन अयोग्यता से काम करता है ? इन सारी चीजों को सामने रखकर कर देने वालों की सारी सुख-सुविधाओं को सामने रखकर अगर आप अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण करेंगे और इनसे प्रेरणा लेकर चलेंगे तो खर्चा कम करने की दृष्टि से, काम के जल्दी डिस्पोज़ल होने की दृष्टि से लोगों पर कर का बोझा ज्यादा न डालने की दृष्टि से, इन कई दृष्टियों से यह आवश्यक समझेंगे आप कि यह कमिश्नर का पद हटा दिया जावे।

पहले भी एस्टिमेट कमेटी ने अपनी यही राय बनाई थी कि कमिश्नर का पद बिल्कुल अनावश्यक है और यह अनावश्यक समझने की प्रवृत्ति राजस्थान में ही नहीं, पर दूसरे प्रान्तों में भी, जो पहले के कानूनों से प्रेरणा नहीं लेते; पर वर्तमान परिस्थितियों से प्रेरणा लेते हैं॥

[श्री भैंरूसिंह]

उनके दृष्टिकोण में भी यह कमिश्नर का पद बिल्कुल अनावश्यक है और वे भी यह मानते हैं कि यह जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाना चाहिये ?

इसलिये निवेदन करूंगा कि "डिविजन" के स्थान पर 'डिस्ट्रिक्ट' करने का वह मेरा संशोधन स्वीकार किया जावे। इससे डिस्ट्रिक्ट का सीधा सम्बन्ध सेक्रेटरियट से होगा।

मैंने दर्याफ्त किया तो कमिश्नर कहते हैं कि हमारा काम केवल सुपरविजन करने का है। अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के रेवेन्यु सेक्रेटरी के लिये यह सम्भव न हो कि कई कई डिस्ट्रिक्ट को वह अकेला काबू में रख सके तो उसके स्थान पर डिप्टी सेक्रेटरी या एडीशनल सेक्रेटरी और बढ़ा दिये जावें।

कमिश्नर अपनी राय नहीं देता। वह तो केवल पोस्टमेन का काम करता है, इधर की चिट्ठी उधर भेजना और उधर की चिट्ठी इधर भेजना। बस यही उसका काम है और अगर उसका काम है तो वह है कि किसी २ पटवारी का या किसी गिरदावर का अपोइन्टमेन्ट करना हो, तरक्की या तनज्जुली करनी हो, तबादला करना हो तो वह करता है। यह काम जरूर वह करता है। पर यह बहुत मामूली से मामले होते हैं, चालीस-पचास रुपया पाने वालों के मामले हैं यह तो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को या डिप्टी सेक्रेटरी या असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को सौंपा जा सकता है या चालीस से ऊपर उनके पास रक्खा जा सकता है और चालीस से नीचे नीचे कलेक्टर के पास रक्खा जा सकता है। राजस्थान में एक दो या तीन व्यक्तियों को यह काम आप दे सकते हैं। पर केवल इस काम के लिए कमिश्नरों को बनाये रखना और चार पांच लाख रुपया इसके लिये जाया करना, यह कोई जरूरी नहीं है। चार लाख रुपया केवल इस काम के लिए खर्च करना कि पटवारी की किसी की नियुक्त करनी है, किसी गिरदावर का नियुक्ति करनी है या उसकी ट्रान्सफर करनी है, या टाइप राइटर पर काम करने वाले एक किसी टाइपिस्ट या स्टेनो की नियुक्ति करनी हैं, कतई अनावश्यक है।

तो स अनावश्यक खर्च को दूर करने के लिए माननीय सभापतीमहोदय, मैं सदन से जोरदार शब्दों में अपील करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि इस माने में वे दूसरे दूसरे प्रान्तों से केवल नसीहत ही नहीं बल्कि अगर किसी के यहां इस काम में पहल नहीं हुई है इसलिए हम भी क्यों पहल करें, यह विचार छोडें और दूसरों को इस मामले में लीड करें उनको नसीहत दें, इस मामले में आप स्वयं अग्रगामी बनें और यह बतावें कि राजस्थान सरकार खर्चा कम करने के लिए और लिटीगेशन का चक्कर कम करने के लिए इस अनावश्यक पद को रखना कतई अच्छा नहीं समझती है। मैं समझता हूँ कि इतना कहने के बाद सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा।

श्री जयानसिंह—क्लॉज़ २२ को भी साथ में ले लिया जाय तो कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति—टेरीटेरियल डिवीज़न्स और एप्वाइन्टमेंट अलग २ हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मि० चेयरमेन, सर, मेरे मित्र दांता रामगढ़ से आये हुए सदस्य ने क्लॉज़ २० पर संशोधन रखा और उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते समय इस पहलू को बहुत साफ करने की कोशिश की। मैं उनकी ताईद में उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ यह कहना चाहूँगा कि यह जो डिवीज़नल कमिश्नर्स हैं उनकी पोस्ट्स दिन पर दिन सुपरफ्लुअस प्रतीत होती है। यह राजस्थान के लिए ही केवल एक समस्या पैदा नहीं हो गई है लेकिन अगर माननीय राजस्व मंत्रीजी आज भारत भर में क्या हो रहा है उस पर अगर ध्यान देंगे तो यह बड़े २ जो राज्य हैं, बंगाल है, यू. पी. है, बिहार है, बम्बई है, मध्यप्रदेश है, इतने बड़े २ जो राज्य हैं उनमें डिवीज़न्स और डिवीज़नल कमिश्नर्स कतई नहीं हैं। अगर उनकी इतनी आवश्यकता होती तो यहां पर अंग्रेजों के वक्त से आज तक राज्य प्रणाली जो चली आ रही है वह अवश्य कमिश्नर को रखते। कहीं २ जरूर कमिश्नर्स हैं लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां एक-दो जगह कमिश्नर्स हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जरूर हैं। उन्हीं के द्वारा राज्य का कार्य चल रहा है। और हम.......

श्री सभापति—मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यह क्लॉज़ टेरीटोरियल डिवीज़न से डील करती है और उनका जो एमेन्डमेन्ट है वह बजाय डिवीज़न के कलेक्टर्स (डिस्ट्रिक्ट) रखने का है।

श्री वेदपाल त्यागी—डिवीज़न नहीं रहते हैं तो कमिश्नर्स अपने आप हट जाते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उसी प्वॉइन्ट पर बोल रहा हूँ। अगर डिवीज़न्स नहीं रहें तो डिस्ट्रिक्ट्स अपने आप ही हो जायेंगे।

दूसरे, अपनी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दें तो राजस्थान इस स्थिति में नहीं है कि लाखों रुपया कमिश्नर्स पर लगाया जाय, जिनसे कोई खास अर्थ नहीं निकलता है।

मि० चेयरमेन, सर, यह निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं २ ऐसा देखने में आया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्ट्रोंग हुआ तो वहां पर कमिश्नर की स्थिति एक बड़ी नाजुक बन जाती है। हम लोगों के अनुभवों में ऐसी बातें देखने में आई हैं कि जहां एक स्ट्रोंग कलेक्टर ने कमिश्नर की शिकायत तक राजस्थान गवर्नमेंट में कर दी, अभी ऐसा सुनने में आया है और यह भी देखने में आया है कि दो-तीन जगह कलेक्टर ने कमिश्नर की स्थिति ऐसी खराब कर दी कि कमिश्नर को लेना-देना पड़ गया। कमिश्नर सब राज्य के बड़े अधिकारी होते हुए भी उसको कलेक्टर से दबना पड़ता है। लॉ एन्ड ऑर्डर के सवाल पर आप ध्यान देंगे तो सब पॉवर्स कलेक्टर्स के पास हैं। कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता है। अगर करना चाहे और अगर कलेक्टर्स स्ट्रोंग हो तो वह मना भी कर सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए उस स्थिति में सुपरफ्लुइटी और बदइन्तज़ामी, यह सब बात कमिश्नर की पोस्ट्स चालू रहेंगी तो थोड़े समय में देखने में आयेंगी। दूसरी ओर जैसा कि मैंने निवेदन

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

किया कि बहुत सी जगह कमिश्नर्स नहीं हैं और कलेक्टर्स द्वारा ही सीधा राज्य का कार्य किया जा रहा है, तो इन सब बातों को रखते हुए मेरे मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को मनेंगे। इसमें राज्य का हर प्रकार से हित ही होगा, नुकसान नहीं होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन...

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन ..

श्री सभापति—श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, दांता रानगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और पुर जोर समर्थन करता हूँ। चूंकि उन्होंने बखूबी और सारे पहलू सामने लाते हुए सदन को लगभग, मेरे ख्याल से, कन्विन्स करा दिया है, इसलिए उन्हीं बातों को दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता। लेकिन मैं एक विशेष चीज़ का उल्लेख करना चाहूँगा और वह यह है कि पार्लियामेन्ट की या विधान सभा की जो फाइनेंस कमेटीज़ होती हैं वह एस्टीमेट्स कमेटी हो, वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी हो, दोनों कमेटियों की सिफारिशों के बारे में यह लगभग तय शुदा चीज़ है कि उनको सिफारिशें कुबूल की जानी चाहिए, लागू की जानी चाहिए। और एक प्रणाली। राज्य को चलाने की प्रणाली पड़ गई है कि जो सरकार अपनी इन फाइनेंशियल कमेटीज़ की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकती वह सरकार कोई हक नहीं रखती है यह कहने का कि वह ठीक ढंग से अपना काम चला रही है। तो इस प्रश्न पर राजस्थान विधान सभा की जो एस्टीमेट्स कमेटी है उसने अपनी पहली रिपोर्ट में १९५३-५४ में पूरा डिसिकशन किया है। उन्होंने जयपुर के कमिश्नर से भी पूछा कि यदि कमिश्नर को पोस्ट हटा दें तो क्या नतीजा होगा और जयपुर के कमिश्नर ने जवाब यह दिया कि "The disadvautage of not having elder brother to advise the younger brother"

यह जयपुर के कमिश्नर का जवाब है। किसी का नुकसान होगा तो उसको कमिश्नर को हटा देने से होगा। चीफ सेक्रेटरी को जब यह पूछा गया तो चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा,

"Co-ordination between diffetent departments and as a sort of Liason officer and a Buffer between the collector and the Government:'. जैसा कि कोई सरकार और कलेक्टर मल्ल युद्ध करने वाले अखाड़े के पहलवान हों और दोनों के बीच में बफर की जरूरत हो, इधर का हमला नहीं हो और उधर का हमला भी नहीं हों, ऐसे अलग अलग अफसर, जयपुर के कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी, सब को जान लेने के बाद में यह एस्टीमेन्ट्स कमेटी इस यूनेनियम कन्क्लूजन पर पहुंची और एक राय होकर उसने निर्णय किया;

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Now Rajasthan has been funotioning for over four years and the Comm!ssioner, Jaipur, does not appeasr to be a cogent reason to the Committee for the continuance of this office as already stated To us it appears high time when the Collectors should be glven opportunity to stand on their own legs and shoulder the responsibility of that office without the necessity of any elder brother 'a' advice."

कमेटी ने यह भी कहा कि इस वजह से ४,८१,६०० रु० की बचत राजस्थान सरकार को होगी। सन् ५३-५४ की एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह शामिल होने के बाद कोई कारण नहीं रह जाता कि माननीय राजस्व मंत्री इस सुझाव को कुबूल नहीं करें। लेकिन बीच बीच में वे अपने इशारे के जरिये यह प्रदर्शित कर रहे थे कि वे शायद इसको कबूल नहीं करेंगे। इसलिये आज मैं लगभग अनहोनी सी बात करने की इजाजत आपसे चाहता हूँ. I want to quote Shri Damoda Vyas against himself.

मैं उनको खुद के कोटेशन से उनको कायल करने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि जिस कमेटी ने युनानिमस रिपोर्ट दी है उस एस्टिमेट्स कमेटी के माननीय सदस्य श्री दामोदरलाल व्यास खुद थे। उसमें श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, श्री तनसिंह, श्री जसवन्तसिंह, श्री तेजमल बापना और श्री दामोदर-लाल व्यास; इन सब की सलाह से काम हुआ है। रिपोर्ट के पक्ष में इनकी राय है, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। १९५४-५५ की एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्य श्री दामोदरलाल व्यास ने जोरदार शब्दों में इसके लिये सिफारिश की है, उस सिफारिश को ५५--५६ के राजस्व मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास लागू करने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। इनको अब मौका मिला है कि वे अपने द्वारा की गई सिफारिश पर अमल करें और मैं आशा करता हूँ कि वे अमल करेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— तब वे मिनिस्टर कहीं थे, अब मिनिस्टर हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि इतना परिवर्तन मंत्री होने के बाद आदमी में हो जाता है तो बात ही अलग है। दुनिया कहती है कि परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अपने मुंह से वे इतना स्वीकार कर लें कि कमिश्नर्स चाहे जावें या न जावें यदि वे कबूल करलें कि उस समय मैं मंत्री नहीं था और इस समय मंत्री हूं, यह राय नहीं मानता। दुनिया यह कहे कि ५४-५५ के एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्यों ने काफी छानबीन करके राय दी थी, उसको मानना न मानना ५५-५६ के राजस्व मंत्री और उस समय के कमेटी के सदस्य श्री दामोदर लाल के हाथ में है लेकिन उन्होंने उन सुझावों को काली श्याही और डंबर से पोत दिया, यह सुनना शायद वे पसन्द नहीं करेंगे। मैं उनसे यह कहूंगा कि अपनी मांग पर पुनर्विचार करके फिर निर्णय करें। साढ़े चार लाख रुपयों की बचत का भी सवाल है। पंचवर्षीय योजना पर इतना रुपया खर्च करना है। इस पर तो जब बहस होगी उस समय प्रकाश डालूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस योजना के लिये लोगों पर भारी टेक्स लगाने की तजवीज चल रही है उस हालत में जब कि एक चीज़ से ५ लाख रुपया सालाना की बचत होती है उसको एबोलिश करने के लिये कांग्रेस के सदस्यों के बहुमतवाली कमेटी ने राय दी है, जिसके लिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक्सपर्ट्स कमेटी ने राय दी है, जिनके लिये जोगले और हक्स थे उन्होंने राय दी है, तो मेरा अनुमान है कि इन कारणों से इसे स्वीकार किया जायगा और 'कमिश्नर' नाम का शब्द राजस्थान में फैल रहा है उसको हटाया जायगा। । इससे जनता को फायदा होगा, सरकार को आर्थिक फायदा होगा और सरकार को यह कहने का भी मौका मिलेगा कि हमने एस्टिमेट्स कमेटी की राय मानली है।

श्री कंवरलाल जेलिया—जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कमिश्नर को न रखने के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनके विरोध में बोलूंगा और मूल विधेयक में जो बात रखी गई है कि कमिश्नरों की आवश्यकता है, उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा । इसका कारण यह है कि जिनका यह प्रस्ताव है वे जयपुर जिले के हैं, जहां कमिश्नर और कलेक्टर मौजूद हैं। माननीय सदस्य दूसरे डिविजन से आये हुए होते तो शायद इसको हटाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते ।

मैं जिस डिविजन से आया हूं वहां के किसानों की हालत को देखते हुए यह उदाहरण रखूंगा कि यदि कोटा डिविजन के सिरोंज के काश्तकार को कलेक्टर से संतोषजनक न्याय नहीं मिल है तो क्या वह अपने रुपये खर्च करके यहां आयगा ? इसी तरह छबड़ों के काश्तकार को लीजिये या शाहबाद के काश्तकार को लीजिये ; किसानों को यहां तक आने-जाने में कितना व्यय करना होगा ? आपने एस्टिमेट्स कमेटी के आंकड़ों को सुन्दर शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की । राजस्थान सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, आपको ध्यान जनता के फायदे की ओर देना चाहिये ।

राजस्थान खेतिहर प्रदेश है और यहां के लोग गांवों में अधिकतर बसते हैं और काश्त करते हैं। दूसरे मसलों पर तो आप तरह तरह को सुविधा देते हैं, लेकिन यह किसानों की चीज है। हम यह चाहते हैं कि पॉवर का विकेन्द्रीकरण हो। गांवों के लोगों को आने-जाने में ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, किसानों को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, ऐसा हमें सोचना चाहिये। कलेक्टर्स की अपील सीधी यहां होगी तो खर्चा अधिक करना होगा। यदि डिविजन के रहनेवालों का समाधान डिविजन में ही हो जाता है तो खर्चा कम करना पड़ेगा। काश्तकारों की हालत को देखते हुए, राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए यह जरूरी है कि कमिश्नर्स रहने चाहिये। माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक डिविजन में केवल ३ जिले हैं और उस डिविजन के मुकाबले में जयपुर-जोधपुर का उदाहरण दिया। मैं उन माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे क्यों भूल जाते हैं कि जैसा उन्होंने कोटा डिविजन में ३ जिलों का उल्लेख किया उसी कोटा डिविजन के काश्तकारों से लैंड रेवेन्यू से राजस्थान सरकार को कितने करोड़ रूपयों की आमदनी होती है और वहां किस तरह से धान की उपज होती है ? कोटा डिविज़न ही एक ऐसा डिविज़न है जहां अन्न बहुत अधिक मात्रा में पैदा

[श्री कंवरलाल जेलिया]

होता है। जब अकाल होता है तो जोधपुर-बीकानेर में धान यहां से भेजा जाता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—I challenge the Statment. कम से कम बीकानेर में धान बाहर से नहीं आता।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं जोधपुर के लिये कहता हूं। बीकानेर के बारे में गंगानगर के हिस्से को मान सकता हूं। जितना भी सरप्लस गल्ला रहता है वह कोटा डिविज़न से बाहर भेजा जाता है। तीन जिलों की सीमा के कारण छोटा डिविज़न बताते हैं लेकिन वहां गल्ला कितना पैदा होता है इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं ? उसके लिये क्या डिविज़न हैड क्वार्टर की जरूरत नहीं है ?

श्री वेदपाल त्यागी—क्या कमिश्नर का काम गल्ला तोलना या पैसे वसूल करना है

श्री कंवरलाल जेलिया—(जारी) जो काश्तकार लगान देते हैं, जिनका भला करने के लिये आप आये हैं, हम चाहते हैं कि उनको सस्ता न्याय देने के लिये सता का विकेन्द्रीकरण करें। तो फिर समझ में नहीं आया कि आप केन्द्रीय करण करना क्यों चाहते हैं ? आप सब का केन्द्रीयकरण न करें, सारी चीजें जयपुर में ही न लावें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स की भी आवश्यकता है। जो संशोधन आप लाये हैं और जिसका समर्थन आपने जोरदार शब्दों में किया है उसकी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार ने विधेयक में जो क्लॉज़ रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूँ कि यही क्लॉज रहना चाहिये। कमिश्नरों के रहने की आवश्यकता है।

श्री वेदपाल त्यागी—सभापति महोदय, यद्यपि इस क्लॉज़ पर काफी चर्चा हो गई है और जो एस्टिमेट्स कमेटी की राय है उसको बड़े सुन्दर शब्दों में जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने राजस्व मंत्रीजी के समक्ष रखा है। मैं भी उस पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि मेरे यहां से आये हुए माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, वे समझते हैं कि कमिश्नर का काम लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिये या गल्ला ज्यादा पैदा हुआ उसकी हिफाजत करने का है, वास्तव में बात यह नहीं है। उनको समझना चाहिये कि पॉवर्स का हम किस तरह से विकेन्द्री करण कर सकते हैं। कमिश्नरों के डिविज़न यदि रहते हैं तो यह पॉवर का विकेन्द्री करण नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत केन्द्रीय करण ही हो जाता है। हम चाहते यह हैं कि हमारे जिले के अधिकार जितने ज्यादा हो सकें उनके पास रहें और उनके पास ही शक्ति अधिक हो, ताकि लोगों को राहत पहुंच सके।

अभी जैसा कि कहा गया है कि कमिश्नर्स का रखना इसलिये जरूरी समझा गया है कि अभी हमारे बाल अधिकारी इतने कुछ प्रशासन में कुशल नहीं हैं कि वे अपना काम ठीक तरह से कर सकें, इसलिये उनको बड़े भाई की एडवाइज़ की जरूरत है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

मैं यह अर्ज करूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह किया था कि कई जिलों को मिला कर एक ऑफीसर उन पर मुकर्रर करें, पर प्रशासन के कार्यों को देखते हुए उन्होंने भी महसूस किया कि यह ओफिसर बेकार है और इसको खत्म कर देना चाहिये। इसीलिये आप देखेंगे कि पार्ट ए. स्टेट्स में कई जगह कमिश्नर्स की पोस्ट्स बिल्कुल हटा दी गई हैं और कई जगह कमी कर दी गई है।

कमिश्नर्स का काम देखें तो पता चलेगा कि ये पोस्ट ओफिसेज़ का काम करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं इसके सिवाय कि वे कलेक्टर की राय गवर्नमेंट के पास पहुंचा दें और गवर्नमेंट की राय कलेक्टर के पास पहुंचा दें। इस पोस्ट ओफिस के काम के लिये अगर हम सालाना ५ लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं तो यह व्यय नहीं अप-व्यय कहलायेगा और इसको जल्दी दूर करना चाहिये। तो ऐसी सूरत में कलेक्टर का सीधा सम्बन्ध गवर्नमेंट से रखना चाहिये। राजस्व मन्त्री भी शायद महसूस करते होंगे कि लॉ एन्ड ओर्डर करने के लिये जाब्ता फोजदारी में अधिकार देते हैं तो कलेक्टर को देते हैं, कमिश्नर को नहीं। कमिश्नर इसमें इन्टरफियर करने की कोशिश करता है। कलेक्टर को तो चूंकि अधिकार है कानून में इसलिये वह आर्डर देता है, लेकिन चूंके कमिश्नर का कलेक्टर मातहत है इस लिये कमिश्नर का हुक्म चाहे वह नाजायज ही क्यों न हो कलेक्टर को मानना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। कमिश्नर को कलेक्टर के फैसले की सुनवाई का कहीं अधिकार नहीं दिया है, सुपरविजन के बारे में हमारे रामगढ़ से आये मित्र ने बताया कि आर० ए० एस० के लोगों को आई० ए० एस० बना दिया गया, एक-दो साल का अर्सा गुजर चुका उनको काम करते हुए तो उनको काम का अनुभव हो गया है, उनका शिशु काल निकल गया है, बाल्यावस्था में आ गये हैं; अतः उनके इस तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिये और यह बेकार का ५ लाख का खर्चा अपने सर पर नहीं रखेंगे।

मेरे माननीय राजस्व मन्त्री उस कमेटी में बैठे थे और जिस समय रिपोर्ट लिखी जा रही थी तो उनका सिर इसी तरह हिल रहा था जिस तरह अभी यह सुनते हुए हिला रहे हैं और यह कहा था कि यह ओफिस बेकार है। मुझे आशा है कि वे अब भी इसे स्वीकार करेंगे। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी आदि ने भी स्वीकार किया था कि ५ साल के लिये रख लीजिये। तो उन ५ सालों में से ३ साल का अर्सा तो गुजर चुका है। जब हम यह कानून बनाने जा रहे हैं तो इससे फायदा उठाना चाहिए। हमारे रुपयों को जहां तक हो सके ज्यादा अच्छे कामों में उपयोग हों और यह बेकार का ओफिस नहीं रखें।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इस पर ध्यान देंगे और जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार करेंगे।

श्री मानसिंह महार—माननीय सभापति, दांता रामगढ़ के मेरे मित्र ने जो संशोधन रखा है—उसके बारे में काफी चर्चा हो गई है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं हमारे राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मन्त्री बन गये तो क्या हुआ, उनको राय तो शुरु से एक ही रखनी

[श्री मानसिंह महार]

चाहिये। अगर मन्त्री महोदय मन्त्री पद के साथ राय भी बदलते रहेंगे तो इससे तो जनता में बड़ा भ्रम फैल जायगा और प्रतिष्टा में फर्क आ जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—नम्बर तो आपका भी आ जायगा।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—राय बदलने का या मन्त्री बनने का ?

श्री कंवरलाल जेलिया—कोई भी सम्भव हो सकता है।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी करते हुए) जयपुर के कमिश्नर ने यह कहा कि कमिश्नर्स का वही काम है जो बड़े भाई का अपने छोटे भाई को राय देने का होता है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान बड़ा विचित्र प्रान्त है, यहां बड़े से छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं। आप राय भी बदलेंगे तो वह बड़ी नहीं। जयपुर के कमिश्नर ने राय दी है, श्री जोरावर सिंह झाला कोटा में कमिश्नर हुए, उन्होंने राजस्थान के सब कलेक्टरों को बड़े भाई की हैसियत से राय दी और इत्तफाक से उन्हीं झाला साहब को कलेक्टर बना कर छोटे भाई के रूप में जयपुर में भेज दिया था, तो उस राय को मैं कोई तथ्य नहीं समझता। मैं मानता हूं कि राजस्थान में जो कमिश्नर की पोस्ट है वह एक बहुत ही अनावश्यक बात है।

इसके अलावा कोटा की तरफ से तशरीफ लाये हुए मित्र ने सरकार की इस बात का कि कमिश्नर्स को रिटेन किया जाय, इसका समर्थन किया। उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि जब यह कहा गया कि कमिश्नर रहना चाहिये, इसलिये कह दिया कि कमिश्नर रहना चाहिये। अब उन्हें वह दिक्कत नहीं आने वाली है, कमिश्नर का पद तोड़ दिया गया तो पहले की तरह उन्हें उदयपुर भागने की नौबत आती, वह नहीं आयेगी। उनको अपील लेकर सीधा राजस्व मंत्री के पास आना पड़ता है, कलेक्टर की अपील लेकर यहां आना पड़ेगा, आपके बीच में कांटा है, जो रौड़ा है वह हट जायगा। कमिश्नर के पास ज्यादा अनाज वाले इलाके में ज्यादा काम होता है, यह बात गलत है। कमिश्नर्स का पद बहुत ही अनुपयुक्त पद है, स्वतन्त्र भारत में यह वाजिब नहीं, उसके पक्ष में ज्यादा दलीलें देना ठीक नहीं क्योंकि राजस्व मन्त्री ने इसे स्वीकार किया है हालांकि वहां उन्होंने हमारे मित्र के रूप में, हमारे दामोदर जी व्यास के रूप में स्वीकार किया था, और अब आनरेबल दामोदर जी व्यास हो गये हैं। शायद मन्त्री होने के साथ उनकी राय बदलती है, ये अब राजस्व मंत्री हैं। हो सकता है जैसे झाला साहब ने कहा उसी तरह हमारे व्यासजी साधारण सदस्य से कमिश्नरियों को तोड़ना ठीक समझते थे और कमिश्नर के पद को एक्स्ट्राव्रेगेन्ट समझते थे और शायद अब ऐसा महसूस नहीं करते हों और वे बार बार पीछे देख रहे हैं, उनके ऊपर जो जाल बिछा दिया गया है कि उससे बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल है। पर मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उन प्रपंचों में मत पड़िये, राजस्थान को ५ लाख का फायदा करना है, जनता का फायदा करना है, मनुष्य की जुबान एक होती है। उन्होंने एक बार यह बात कही है तो उससे नहीं हटें। अगर हटेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा में फर्क आयेगा।

[श्री मानसिंह महार]

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अन्त में में उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस छोटे से संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री विश्वम्भर नाथ—माननीय उपाध्यक्ष, इस विषय में मैं भी अपनी राय अर्ज करना चाहता हूँ। वास्तव में काश्तकारों का पद कम से कम आज की स्थिति में बहुत आवश्यक पद नहीं हैं क्योंकि कोई खास ड्यूटि कमीश्नरों की इस पद के साथ लगी हुई नहीं है। अभी एस्टीमेट कमेटी १९५३-५४ की राय का जिक्र किया गया, जिसने कमिश्नरों के पद को हटाने की सिफारिश की है। मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था। यह बात बिल्कुल सही हैं कि सारे आई. सी. एस. ओफिसर्स और चीफ सेक्रेटरी भी जो आई. सी. एस. ओफिसर थे, वे भी यह नहीं बता सके कि कमिश्नर के पद की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। जब उनसे इस सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई भी संतोषजनक व्याख्या नहीं दी जा सकी। क्योंकि असली बात यह है कि कमीश्नर का कोई निश्चित कर्तव्य उसके हद में नहीं था। यह कहा गया है कि कमीश्नर बिल्कुल अनावश्यक है और वह लेटर बोक्स का काम करता है, यह ठीक है। इसके अलावा ४ या ५ लाख की बचत भी होगी तथा बहुत से फायदे इसके हट जाने से होंगे। यह एक अनावश्यक सीढ़ी है जिसके हट जाने से सरकारी काम-काज में सहूलियतें मिलेंगी और काम-काज जल्दी होगा। क्योंकि आज हर एक कागज लाजमी तौर से कलेक्टरी से कमीश्नरी में जाता है और कमीश्नरी के दफ्तर में कुछ समय अवश्य लगता है। इसलिये हर एक रेवेन्यु या और किसी जुडिशियल नेचर के मामलों में भी देरी होती है। इसलिये कमीश्नर के पद को हटाना ठीक होगा। अगर फैसले जल्दी होंगे तो लोगों को परेशानी कम होगी और लाखों रुपयों का सरकार को भी लाभ होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि भारत के अन्य प्रान्तों में जैसे मद्रास में कमीश्नरों के पद को हटा दिया है। यू. पी. में भी कमीश्नरों की तादाद पहले बहुत ज्यादा थी अब बहुत कम कर दी गई है और यू. पी. जिसकी ६ करोड़ की आबादी हैं और राजस्थान से चौगुना है, सिर्फ ३ कमीश्नर के डिविजन रखे गये हैं। जब दूसरे प्रान्त, जो हमसे आबादी में व आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं वे भी कमीश्नरों के पदों हटा रहे हैं तो हमारा प्रान्त तो आबादी व आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत प्रान्त नहीं है। यह तो एक गरीब प्रान्त माना जाता है, इसलिये शासन में इस खर्चे को बनाये रखना जरूरी नहीं है। इसके लिये यह कहना कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को सलाह दे सके, इसके लिये इसका होना जरूरी है यह कोई उचित दलील नहीं है। इस युग में हर एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिये कि किसी भाई की भी सलाह के बिना काम करे और सब लोग किसी दूसरे की सलाह के बिना काम कर सकें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुआ यह जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, जो श्री भैरुसिंह ने एमेन्डमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और यह जो कमिश्नर हटाने की बात है तो इस संबन्ध में यह मान कर चलते हैं कि जितना गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा उतना ही पब्लिक की भलाई होगी क्योंकि एक कमिश्नर के दफ्तर के पीछे गवर्नमेन्ट का खर्चा क्लर्कों के पीछे और दूसरे अधिकारियों के पीछे कितना होता है,

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

और जितना खर्चा होता है वह सारा का सारा जनता पर लगता है। जितना ज्यादा खर्च सरकार करेगी उतने ही लोगों पर टैक्स का बोझा अधिक होगा। जहां पर खर्च कम होगा वहां पर टैक्स कम लगेंगे। जब एस्टीमेट कमेटी ने कमीश्नरों के पद को हटाने का माननीय मंत्री महोदय ने मान लिया तो यहां पर भी मान लेंगे और मंत्रीगण इस संबन्ध में मजबूत रहेंगे ।

श्री भैरूसिंह—कुर्सी पर बैठने पर वह बात नहीं रहती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जरूर वही बात रहेगी। अभी एक माननीय मित्र ने बताया कि यू. पी. में, जो राजस्थान से बहुत बडा प्रान्त है सिर्फ ३ या ४ कमीश्नर के डिवीज़न्स रखे गये है और वे भी जल्दी टूट जावेगें; बाकी सारा इन्तजाम कलेक्टर को सौंप दिया गया है। जब आपने यहां पर कलेक्टरों को आई. ए. एस. केडर का रखा है और काफी अधिकार दे रखें हैं तो थोडे से अधिकार बचे हैं वे भी कलेक्टरों को दे दिये जावें तो फिर कमीश्नरों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और जितना खर्चा हो रहा हैं वह कम से कम दो लाख, डेढ़ लाख रूपया खर्च होगा या दो लाख रूपये तो खर्च कमीश्नरों पर खर्च होते होंगे ही। कमीश्नरों पर ४ लाख रुपये खर्च होते हैं यह सब खर्चा बच जावेगा। यह बहुत बडा खर्च हैं जो इन पर खर्च होता है। ऐसी हालत में अगर कलेक्टर को ज्यादा पावर देकर इनको हटा दिया जावे तो अच्छा होगा। जब कलेक्टर को पॉवर बढ जावेंगे तो एस. डी. ओ. और तहसीलदार को पॉवर्स भी ज्यादा देने होंगे और दे देंगे तो कोई बात की दिक्कत नहीं रहेगी और बहुत सी दिक्कतें जनता की दूर हो जावेंगी और कलेक्टर जो कागजात कमीश्नरों के पास भेजते हैं और वहां पर जो समय लगता है वह बच जावेगा और लोगों की कठिनाई इससे बहुत दूर हो जावेगी। इसके बारे में...

(घंटी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—इनको बोलने दीजिये। इनके भाषण में आनन्द आता है।

श्री हिम्मतसिंह—रूस और फिनलेन्ड का अनुभव भी बतावें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—रूस में कमीश्नर होते हैं या नहीं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—रूस में कमीश्नर नहीं होते।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—ऐसी हालत में कमीश्नरों के पद के हटने से जनता को सुविधा ज्यादा मिलेगी और एक के बाद दूसरे टेक्स लगते हैं उनमें से एक टैक्स तो कम से कम दूर होगा ही। यह मान कर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाहर दूसरे देशों में इन्कम टैक्स ही लगता है और एग्रीकल्चर टैक्स, सेल्स टेक्स और दूसरी चीजें अटरम सटरम जो है वे माननीय उपाध्यक्ष, वहां नहीं लगतीं जो यहां पर लगती हैं, वे भी कम हो जावेंगी। इसलिये माननीय मंत्री से मैं यह अपील करता हूं कि वे अपने एस्टीमेट कमेटी में कहे हुए वचनों को कि कमिश्नर का पद नहीं रहना चाहिये मानने के लिये कटिबद्ध होंगे। इसलिये एक बार फिर मेरी अपील है (घंटी) कि कमिश्नरों के पद नहीं रहने चाहिये। वे दूसरी बात नहीं सोचें और पब्लिक के हित की बात सोच कर और इस पर ध्यान देकर और जो बात कही है उन्होंने एस्टीमेट कमैटी में उसको पूरा करेंगे। कलेक्टरों को पावर्स बढ़ा देंगे।

मैं तो यह समझता हूं कि तहसील पंचायतों को पॉवर्स दे देने चाहिए। ओफिसर्स को पॉवर्स कम देने चाहिए। न अपने आप लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, सारी चीजें होंगी।

(घंटी)

इतना ही कह कर मेरी माननीय मन्त्रीजी से अपील है कि कमिश्नर के पद को हटा दिया जाय। भैरोंसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको पास किया जाय।

(विपक्ष द्वारा हियर, हियर)

श्री भैरूसिंह (१६)—समय हो गया है माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री मानसिंह महार—कल और भी लोग बोलना चाहेंगे।

राजश्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, चेप्टर दो के क्लॉज़ेज़ पांच, आठ और नौ डेफर किये हुए हैं। वे क्लॉजेज पास हो जावें तब इस चेप्टर पर विचार किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—चेप्टर २ के जो क्लॉज़ेज़ डेफर किये गये हैं उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वे तो रेवेन्यु बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं और यह बात बिलकुल अलग है। उनके साथ इसको रखने की आवश्यकता नहीं है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—कितना समय लगेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास—पांच-सात मिनिट समझिये।

(विराम)

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कल ले लीजिये। It can be taken tomorrow, I do not mind.

(विराम)

कल मेरा रिप्लाई होगा। We have had enough discussion.

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है।

कल रिप्लाई दिया जायगा। कल साढ़े आठ बजे फिर मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३४ मिनिट पर, शुक्रवार, दिनांक ७. अक्तूबर, १९५५ के ८. ३० बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-६ अक्टूबर १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या २८४ का उत्तर देखिये)

LIST NO. 1 OF CANIDATES REJECTED FOR RAJASTHAN ACCOUNTS SERVICE AND CONFIRMED IN ACCOUNTAUTS CADRE .

1. Shri Bhargava T. N.
2. ,, Fateh Lal Gupta.
3. ,, Kesri Singh Darda.
4. ,, Mohan Lal Sharma.
5. ,, Narsinghpura K. L.
6. ,, Srinath.
7. ,, Sunheri Lal.
8. ,, Vyas M. M.